राजनीतिक रूप से सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों को अब नहीं मिलेगी विदेशी आर्थिक सहायता

साम्प्रदायिक ...हिंसा अधिनियम (?) से धर्मान्तरण करनेवाली शक्तियों को मिलेगा लाभ : श्री भागवत

वार्षिक ₹ 200 ॐ मूल्य ₹ 10

राष्ट्रीय पुनर्जागरण का पाक्षिक

अक्टूबर (16-31), 2011

हिन्दू विश्व

ॐ

असतो मा सद्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्मामृतं गमय।

(बृहदारण्यकउपनिषद्, 1.3.28)

अर्थात् मुझे असत् से सत् की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो।

पंचदिवसीय दीपावली पर्व (इस बार 24—28 अक्टूबर तक) की हार्दिक शुभकामनाएं !

30 सितम्बर को अयोध्या में जय हनुमान ज्ञान गुन सागर... की गूंज

- एंडोसल्फान का दंश

पाक उच्च न्यायालय ने दिए 160 वर्ष पुराने मंदिर के द्वार खोलने के आदेश

अतीत की स्मृतियाँ

पेशावर (पाक) में श्री गुरु गोरखनाथ मंदिर

बाबा अमरनाथ के प्रति अपशब्द बोलने वाले अग्निवेश को सबक सिखाने का प्रयास करने वाले स्वामी नित्यानन्द जी का पटियाला (पंजाब) में सम्मान करते विभिन्न हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ता। arun.joshi1093@rediffmail.com

अमदाबाद के श्री गोपाल रामजी मंदिर
में पूजन करते
विहिप–अंतरराष्ट्रीय महामंत्री डॉ. प्रवीणभाई तोगड़िया

न्यूजीलैंड में आयोजित
स्वास्थ्य शिविर

श्रीसेलम– कुर्नूल (आन्ध्र) में
विहिप के तत्वावधान में आयोजित
अर्चक पुरोहित सम्मेलन

हिन्दू विश्व

राष्ट्रीय पुनर्जागरण का पाक्षिक

'औरतें मर्दों से अधिक बुद्धिमान होती हैं,
क्योंकि वह जानती कम, समझती अधिक हैं' -जेम्स स्टीफन

वर्ष 14, अंक 19

अक्टूबर (16-31), 2011

कार्तिक कृष्ण पक्ष - शुक्ल पक्ष
वि.सं.-2068

युगाब्द - 5113

संरक्षक मण्डल
श्री विष्णुहरि डालमिया
श्री अशोक सिंहल,
आचार्य गिरिराज किशोर

सम्पादक
मानवेन्द्र नाथ पंकज

परामर्शदाता
सर्वश्री
डॉ. नन्दकिशोर त्रिखा,
रघुनन्दन प्रसाद शर्मा,
राजेन्द्र शर्मा, शरद लघाटे
धर्मनारायण शर्मा, विजय कुमार

व्यवस्था - श्री दूधनाथ शुक्ल

सज्जा - श्री महेश कुशवाहा

कार्यालय :
'हिन्दू विश्व'
संकटमोचन आश्रम,
प्रभाग - 6
रामकृष्ण पुरम्,
नई दिल्ली-110022-05
दूरभाष : 011-26178992,
011-26103495
ईमेल-hinduvishwa@gmail.com

वैधानिक सूचना
- 'हिन्दू विश्व' में प्रकाशित सामग्री लेखकों के निजी विचार हैं। सम्पादक एवं प्रकाशक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
- 'हिन्दू विश्व' से सम्बन्धित सभी वाद प्रकाशन तिथि से 3 महीने के अन्दर केवल नई दिल्ली स्थित न्यायालय में होंगे।

- : मूल्य :-
विदेशों के लिए ....$ 50 USD
वार्षिक डाक व्यय सहित
एक प्रति ....10 ₹
वार्षिक ....200 ₹
त्रिवर्षीय.....................500 ₹
पंचवर्षीय ....800 ₹
दसवर्षीय.................1,500 ₹
पन्द्रह वर्षीय.............2,100 ₹

विहिप

इंग्लैण्ड में पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतम्भरा जी........04

न्यूजीलैंड में अनूठा स्वास्थ्य शिविर....................04

विहिप को गोविन्दगढ़ में समरसता सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति न देने का तीव्र प्रतिरोध 11

वेदमय भारत का निर्माण किया जाना आवश्यक.....17

दिल्ली में कलश यात्रा 18

राज्यों में अमरनाथ यात्री भवन बनाने की मांग.......19

दिल्ली में दो दिन में तीन मन्दिर ध्वस्त................19

जनता बांग्लादेशी घुसपैठियों का सामाजिक बहिष्कार करे...........20

आस्ट्रेलियाई सरकार का पुतला फूंका 21

30 सितम्बर को अयोध्या में जय हनुमान ज्ञान गुन सागर....की गूंज 22

स्तम्भ

सम्पादकीय

परिवार संस्था को सुदृढ़ करेगा राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय...........................2

पुण्य प्रवाह हमारा...12

प्रेरक जीवन......... 13

पुस्तक-परिचय 14

फूल नहीं चिंगारी... 14

कविता 15

सुभाषित..15

पाठकीय अभिमत...15

स्वास्थ्य वीथी 16

रसवती 16

अन्य

एंडोसल्फान का दंश..........03

बुर्के पर प्रतिबंध हुआ और मजबूत..........05

पाक से सब कुछ गंवाकर आए हिन्दुओं पर केन्द्र सरकार की निगाह कब ?..........06

चीन के प्रोत्साहन से नेपाल भी भारत पर अतिक्रमण की राह पर..........07

35 साल बाद भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं की गलती मानी; परन्तु..........08

मेधा पाटकर के स्वैच्छिक संगठन की उच्चतम न्यायालय ने नकेल कसी..........09

ओडीशा में सरकारी जमीन पर बने अवैध चर्च को ढहाने का आदेश..........10

भगवान् गणेश का मेलबर्न में अपमान..........21

प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री द्वारा 666 परिवारों की अनदेखी..........23

राजनीतिक रूप से सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों को अब नहीं मिलेगी विदेशी आर्थिक सहायता..........24

मानवेन्द्र नाथ पंकज

परिवार संस्था को सुदृढ़ करेगा राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय

बेटी एवं बहू के रिश्ते को देश–काल–परिस्थिति के सापेक्ष परिभाषित करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम–1996 के अन्तर्गत एक विधवा बहू को ससुर के आश्रित के तौर पर सरकारी नौकरी पाने का हकदार माना।

ज्ञात हो पाली जिले में जैतारण तहसील तहत देरारामसर–गरनिया की पिंकी के पति रतनलाल, ससुर मोहनलाल सीरवी एवं ननद सीता की 24 मई 08 को दुर्घटना में मौत हो गई थी। दादी सास सुवादेवी, सास जिमिया व मासूम बेटियों कृष्णा व रामप्यारी की जिम्मेदारी पिंकी पर आ पड़ी। ससुर मोहनलाल सरकारी सेवा में पशुधन सहायक थे। लिहाजा पिंकी ने मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित के तौर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी मांगी, लेकिन राज्य सरकार ने विधवा बहू को इन नियमों में शामिल नहीं मान दावा खारिज कर दिया। विभाग का कहना था कि आश्रित के तौर पर केवल पति–पत्नी, बेटा, अविवाहित या विधवा बेटी तथा गोद ली हुई संतान को ही नौकरी दी जा सकती है।

सनातन धर्मावलम्बी हिन्दू परिवारों में रिश्तों की गर्मजोशी को स्वीकार करते हुए विद्वत न्यायमूर्ति ने कहा कि भारतीय समाज में बहू को भी बेटी के रूप में स्वीकार किया जाता है। डॉटर–इन–लॉ (बहू) शब्द का अर्थ यही है इन–लॉज (ससुराल वाले) उसे डॉटर (बेटी) के रूप में स्वीकार करते हैं। लिहाजा विधवा बेटी और बहू में फर्क नहीं किया जा सकता। पाली जिले की पिंकी के मामले में यह आदेश पारित करते हुए न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने नियम 2 (सी) के तहत विधवा बहू के आश्रित की परिभाषा में नहीं आने की सरकार के तर्क को भी ठीक नहीं माना।

उन्होंने कहा, ये नियम उद्देश्य की व्याख्या साफ नहीं कर पा रहे हैं जबकि इनका मंतव्य राज्यकर्मी के परिवार की उन तकलीफों को कम करना है जो इकलौते कमाऊ सदस्य की मौत के बाद उसे झेलनी पड़ती है। लिहाजा नियमों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने पर्पसिव कंस्ट्रक्शन और पर्पसिव इंटरप्रिटेशन के विधिक सिद्धान्तों का सहारा लिया। न्यायमूर्ति ने कहा कि नियुक्ति नियम पांच (1) में मृत राज्य कर्मचारी के आश्रितों में से किसी के पहले से सरकारी सेवा में होने पर नौकरी का लाभ नहीं दिया जाता लेकिन विधवा बेटी को इससे मुक्त रखा गया है।

यह माना जाना चाहिए कि कानून निर्माताओं ने विधवा बेटी पर उसके ससुराल वालों की जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर ही उसे मुक्त रखा। पति की मौत के बाद महिलाएं ससुराल में बेटी के रूप ही रहती हैं। लिहाजा नियम 2 (सी) में उन्होंने विधवा बेटी के साथ विधवा बहू को भी शामिल मानते हुए पिंकी की याचिका स्वीकार कर ली। साथ ही उसे 14 अक्टूबर तक नियमानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति देने के आदेश दिए।

विद्वत न्यायमूर्ति का यह निर्णय परिवार संस्था में आ रहे क्षरण को निर्मूल कर परिवार संस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है। नियम/कानून जनहित के लिए हैं, यदि इन पर अक्षरशः अमल करने से जनता का कष्ट दूर नहीं होता है तो उन्हें समायानुकूल परिभाषित किया जा सकता है, ऐसा विद्वत न्यायमूर्ति के निर्णय से परिलक्षित होता है। मृतक आश्रित नियमावली में विधवा बेटी/विधवा बहू को ही नहीं अपितु पुत्र/पुत्री/पुत्रवधू जो भी परिवार को सही ढंग से चला सके, उसके शामिल करना समीचीन होगा। विद्वत न्यायमूर्ति को साधुवाद !

नियम/कानून जनहित के लिए हैं, यदि इन पर अक्षरशः अमल करने से जनता का कष्ट दूर नहीं होता है तो उन्हें समायानुकूल परिभाषित किया जा सकता है, ऐसा विद्वत न्यायमूर्ति के निर्णय से परिलक्षित होता है।

एंडोसल्फान का दंश

जोर का झटका धीरे से

मनुष्य, पशु–पक्षियों तथा वनस्पति के लिए खतरनाक व अत्यंत जहरीले कीटनाशक एंडोसल्फान से छुटकारे के लिए सरकार हाई रिस्क (अत्यधिक खतरा) तथा हाई कॉस्ट (अत्यधिक लागत) के जंजाल में फंस गयी है। उच्चतम न्यायालय ने भले ही इस कीटनाशक के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, किन्तु देश में इसके मौजूदा भंडार से मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए इसकी

मौजूदा कीमत से करीब 15 गुना अधिक राशि की जरूरत पड़ेगी।

उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में गठित विशेषज्ञ समिति ने दावा किया है कि एक किलो एंडोसल्फान को नष्ट करने के लिए केन्द्र सरकार को करीब 3400 से 3900 रूपये खर्च करने पड़ेंगे। जबकि एक किलो एंडोसल्फान का वर्तमान बाजार मूल्य सिर्फ 230 रुपये प्रति किलो है। चूंकि इस समय देश में एंडोसल्फान का मौजूदा भंडारण 1090. 596 मीटरी टन है, इसलिए इसे नष्ट करने के लिए सरकार को करीब 8000 करोड़ रूपये की जरूरत पड़ेगी।

पिछले दिनों केरल के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जब एंडोसल्फान के प्रयोग से मानव, पेड़–पौधे आदि पर अत्यंत बुरे प्रभाव का पता चला तो उच्चतम न्यायालय ने इसके प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। न्यायालय ने इसके निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही कृषि आयुक्त तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद प्रमुख को मिलाकर गठित एक विशेषज्ञ समिति को निर्देश दिया था कि वह इसके निबटान का मार्ग सुझाए।

बाजार में इस समय एंडोसल्फान की कीमत 235 रूपये प्रतिकिलो है। जबकि इस एक किलो कीटनाशक को पर्यावरण के अनुकूल वातावरण में नष्ट करने में करीब 3400 रूपये का खर्च आने का अनुमान है। जबकि इसे तैयार करने के लिए उपलब्ध कच्चे माल यानि हेक्सा क्लॉरो साइक्लो पेंटाडीन (एचसीसीएल) को नष्ट करने में इससे भी अधिक खर्च आने का अनुमान है। इस कच्चे माल की कीमत 210 रूपये प्रति किलो है, किन्तु इसे नष्ट करने में करीब 3900 रूपये का खर्च आने का अनुमान है।

इस समय देश में विभिन्न उत्पादकों के पास एंडोसल्फान का करीब 1090.596 मीटरी टन स्टॉक उपलब्ध है। इसके अलावा इसे बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए। उससे 4,071.21 मीटरी टन और एंडोसल्फान का उत्पादन किया जा सकता है। इस समय 1,734 मीटरी टन एंडोसल्फान के निर्यात हेतु भी आदेश प्राप्त हुए हैं।

विशेषज्ञ समिति की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि एंडोसल्फान को नष्ट करने के लिए केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने किसी विशेष प्रक्रिया के संबंध में जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा उत्पादकों के पास भी इसे नष्ट करने की तकनीक नहीं हैं। उनके पास सिर्फ इन्सिन्रेटर की सुविधा है। समिति का कहना है कि यदि इसे नष्ट करने के लिए किसी विशेषज्ञ की मदद ली जाए तो उसमें सबसे बड़ी उलझन उसमें आने वाली बहुत अधिक कीमत को लेकर है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एक उत्पादक ने इसे नष्ट करने हेतु जानकारी प्राप्त करने के लिए मुम्बई वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड से सम्पर्क किया था। उस कंपनी ने इस कार्य के लिए जो खर्च बताया है वह 3400 रूपये प्रति किलो एंडोसल्फान तथा 3900 रूपये प्रतिकिलो एचसीसीपी है। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में अगली कार्रवाई का आदेश उच्चतम न्यायालय को देना है। इस संबंध में एक जनहित याचिका भी डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा न्यायालय में दायर की गयी है।

अपनी रिपोर्ट में समिति ने यह भी संकेत दिया है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुसार धीरे–धीरे इसे चलन से बाहर करने के लिए करीब पांच साल का समय चाहिए। इस अवधि में कच्चे माल की आपूर्ति रोक दी जाती है ताकि उपलब्ध सारा कच्चा माल खर्च हो जाए। समिति ने यह भी कहा है कि केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने एंडोसल्फान के आयात–निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसलिए यदि भारत इस कीटनाशक का निर्यात करता है तो उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है।

(नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2011)

— **अब्राहम थॉमस**

चूंकि इस समय देश में एंडोसल्फान का मौजूदा भंडारण १०६०.५६६ मीटरी टन है, इसलिए इसे नष्ट करने के लिए सरकार को करीब ८००० करोड़ रूपये की जरूरत पड़ेगी।

वैश्विक परिदृश्य

इंग्लैण्ड में पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतम्भरा जी

05 से 10 सितम्बर 2011 तक, लेस्टर शहर–इंग्लैण्ड में प.पू. दीदी माँ साध्वी ऋतम्भरा जी ने व्यासपीठ से सुधी

श्रीमद्भागवत का रसपान कराया। लेस्टर के हिन्दू मंदिर में श्रोताओं को प.पू. दीदी माँ ने श्रीमद्भागवत कथा में वात्सल्य ग्राम का विचार प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में चल रहे वात्सल्य ग्राम की जानकारी दी। गुजरात में डाकोर के निकट वात्सल्य ग्राम बनाने की योजना प्रस्तुत की।

प.पू. दीदी माँ ने अपनी वात्सल्य ज्ञान मंदाकिनी में इंग्लैण्डवासियों को सम्मोहित कर दिया। श्रोताओं ने वात्सल्य ग्राम बनाने की माँग भी कर दी। दीदी माँ ने कथा के दौरान भारत वेलफेयर ट्रस्ट की रश्मि बहन मावाणी, हिन्दू मंदिर के संचालक मयूरभाई, पोरबंदर के सवदासभाई, कथा के यजमान भगवान भाई मोरजरिया के घर को पावन किया।

लेस्टर के आशरा हाउस में वृद्धों से भी भेंट की। उन्होंने लेस्टर में आयोजित गणेश महोत्सव में भी आशीर्वाद दिया। विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय सहमंत्री एवं अ.भा. सह सेवा प्रमुख अरविंदभाई ब्रह्मभट्ट सभी कार्यक्रम में साथ रहे।

लेस्टर हिन्दू संस्कार रेडियो पर पू. दीदी माँ का वात्सल्य ग्राम एवं अरविंदभाई ब्रह्मभट्ट का गुजरात के वनवासी क्षेत्र में सेवारत जानकी आश्रम के बारे में वार्तालाप प्रसारित किया गया।

लेस्टर की कथा का आयोजन एवं संचालन भारत वेलफेयर ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी कान्तिभाई उनदकट ने किया। प.पू. दीदी माँ एवं अरविंदभाई ब्रह्मभट्ट की निवास की बहुत अच्छी व्यवस्था भारत वेलफेयर ट्रस्ट–यू.के. ने की थी।

aravindjivanjyot@gmail.com

न्यूजीलैंड में अनूठा स्वास्थ्य शिविर

न्यूजीलैंड के विभिन्न शहरों में 13 से 27 अगस्त तक एक अनूठा स्वास्थ्य शिविर 'हेल्थ फॉर ह्यूमनिटि' आयोजित किया गया। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने दो सप्ताह तक चले इस शिविर में भाग लिया। वेलिंग्टन के शिविर में आये सबसे कम उम्र के सहभागी की आयु मात्र तीन वर्ष थी और ऑकलैंड के शिविर में आये सर्वाधिक आयु के सहभागी की आयु 82 वर्ष थी। सभी प्रतिभागियों ने संयुक्त रूप से एक लाख सूर्यनमस्कार करने का संकल्प लिया था, किन्तु पन्द्रह दिन तक चले शिविर में **कुल 89,058 सूर्यनमस्कार** सफलतापूर्वक किये गये। योगाथन के राष्ट्रीय समन्वयक वेंकट कोप्पका ने बताया कि यह शिविर इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस प्रकार का शिविर न्यूजीलैंड में पहली बार आयोजित हुआ।

इसी शिविर के साथ न्यूजीलैंड के विभिन्न शहरों जैसे ऑकलैंड, हेमिल्टन, रूटौरा, वेलिंग्टन, नेल्सन आदि में योगाथन 2011 का एक साथ उद्घाटन हुआ। अकेले ऑकलैंड शहर में चार स्थानों पर शिविर लगाये गये थे। इस शिविर में करीब 50 समूहों के एक हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया। सहभागियों में दो सांसद भी शामिल थे। शिविर में मुख्य रूप से तीन समूहों के सदस्यों, वैलपार्क कॉलेज ऑफ नेचुरल थेरेपी, हिन्दू स्वयंसेवक संघ तथा आर्ट ऑफ लिविंग, ने 30,0000 से अधिक सूर्यनमस्कार किये। इस शिविर में गैर भारतीय समुदाय से भी अनेक प्रशिक्षक तथा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य योग को बढ़ावा देना था। इसकी सफलता से उत्साहित होकर अगले साल भी ऐसे ही शिविर, योगाथन 2012, की तैयारियां शुरु हो गयी हैं।

yogathon.nz@gmail.com

हरिद्वार में प्राचीन परम्परायें तथा संस्कृति विषयक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में मावरी एल्डर्स भी भाग लेंगे

प्राचीन परम्पराओं तथा संस्कृतियों के प्रमुख लोगों का चतुर्थ अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन **अगले साल (2012) 3 से 8 मार्च तक हरिद्वार में आयोजित होगा।** सम्मेलन का आयोजन देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार, के आतिथ्य में होगा। सम्मेलन का प्रमुख विषय है––सृष्टि के संतुलन को बढ़ाना?सम्मेलन का आयोजन वर्ल्ड काउंसिल ऑफ एल्डर्स ऑफ द एंसियंट ट्रेडिशन्स एंड कल्चर्स के द्वारा किया जा रहा हैं। यह ऐसा संगठन है जिसमें विश्व की प्राचीन संस्कृतियों के लोग एक साथ एक मंच पर आकर एक दूसरे की परम्पराओं में समानता ढूंढते हैं। इस आयोजन में और भी अनेक संगठन सहयोग करने वाले हैं।

शेष पृष्ठ 19 पर

बुर्के पर प्रतिबंध हुआ और मजबूत

अब स्विटजरलैंड ने लगायी बुर्के पर रोक

फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स के बाद अब स्विटजरलैंड यूरोपीय यूनियन का ऐसा चौथा राष्ट्र बन गया है जिसने सार्वजनिक स्थानों पर मुंह ढ़कने अर्थात् बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया है। 28 सितम्बर को स्विस संसद के निचले सदन ने एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, जिसके लागू होने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति अपना मुंह नहीं ढक पाएगा। एसवीपी के एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव में सरकारी अधिकारियों को यह शक्ति प्रदान की गयी है कि वे सार्वजनिक स्थान पर मुंह ढककर आने वाले किसी भी व्यक्ति को रोक सकें ताकि उनके कारण उस स्थान पर मौजूद अन्य लोगों की सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न न हो।

इस प्रस्ताव के संबंध में लम्बे समय से लड़ाई लड़ने वाले ऑस्कर फेरिसिंगर नामक एसवीपी नेता ने इस प्रस्ताव को जरूरी बताते हुए कहा कि, ''जैसे–जैसे हमारी सुरक्षा को खतरा बढ़ता जा रहा है वैसे–वैसे अधिक से अधिक लोग सार्वजनिक स्थलों पर काले कपड़े अथवा बुर्के से अपना मुंह ढककर अपनी पहचान छुपाने का प्रयत्न करते देखे जा रहे हैं। इस कारण उनकी पहचान करना मुश्किल होता जा रहा है।''

प्रवासी मुसलमानों का ऐसा रवैया संबंधित देशों की भौगोलिक स्थिति के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गया है। इसलिए बुर्के पर प्रतिबंध की बात सम्पूर्ण महाद्वीप में जोर से उठ रही है।

ऑस्कर फेरिसिंगर के इस तर्क को उस समय और बल मिला, जब आस्ट्रेलिया में स्थानीय अधिकारियों ने ऐसा ही प्रतिबंध लगाया, क्योंकि वहां भी पुलिस अधिकारियों को बुर्का पहने हुए संदिग्ध लोगों की पहचान करने में बहुत परेशानी हुई। यूरोप में बुर्के पर प्रतिबंध को जायज ठहराने के लिए जहां सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा है, वहीं कुछ लोगों ने यह कहकर इसका समर्थन किया कि आज जिस प्रकार खुले समाज की अवधारणा मजबूत होती जा रही है उस स्थिति में महिलाओं को बुर्का अथवा हिजाब पहनने के लिए बाध्य करना सर्वथा अनुचित है।

यूरोप के कई देशों जैसे यूके, फ्रांस और जर्मनी में बड़ी संख्या में प्रवासी मुसलमानों की संख्या निवास करती है। किन्तु उनमें से बहुत ही कम संख्या में महिलाएं बुर्का पहनती हैं। जिन देशों में प्रवासी मुसलमान स्थानीय जनसंख्या के साथ घुलमिल नहीं सके हैं वहां बुर्का तथा हिजाब पहनने पर काफी बल दिया जाता है। प्रवासी मुसलमानों का ऐसा रवैया संबंधित देशों की भौगोलिक स्थिति के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गया है। इसलिए बुर्के पर प्रतिबंध की बात सम्पूर्ण महाद्वीप में जोर से उठ रही है। आजकल राजनेता भी इस बात को जोर–शोर से उठा रहे हैं क्योंकि यह मुद्दा अधिकतर लोगों को आकर्षित करने लगा है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो चुनावी परिणाम की दृष्टि से राजनीतिक दलों के लिए यह घाटे का सौदा हो सकता है।

स्विटजरलैंड में कुछ ही दिन बाद आम चुनाव होने जा रहे हैं और एसवीपी जैसे राजनीति दलों को इससे काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। इसी प्रकार डच सरकार भी बुर्के पर आंशिक प्रतिबंध लगाने के लिए सहमत हो गयी है। इसका कारण यह है कि डच सरकार को इस समय फ्रीडम पार्टी के समर्थन की बहुत आवश्यकता है और फ्रीडम पार्टी बुर्के को 'नीदरलैंड्स के इस्लामीकरण का एक तरीका' मानती है। इसी प्रकार स्पेन के बार्सिलोना तथा दो अन्य शहरों में भी बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुछ भी हो, इस्लामपंथियों को यह अच्छा लगे या बुरा, दुनिया के अनेक देशों में महिलाओं को इस प्रकार की गलत प्रथाओं का शिकार बनाने के विरुद्ध प्रभावी आवाज उठने लगी है।

(साभारःसम्पादकीय–
द पायोनियर, 30 सितम्बर)

चर्च में यौन शोषण : पोप के खिलाफ जांच की गुहार

एमस्टर्डम (एजेन्सी), 20 सितम्बर। ईसाई धर्मगुरुओं के हाथों यौन शोषण का शिकार बने लोगों ने पोप बैनेडिक्ट और वेटिकन के तीन वरिष्ठ अधिकारियों पर बलात्कार और बच्चों के यौन शोषण की अनुमति देने का आरोप लगाते हुए इस मामले की जांच के लिए अन्तरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय से गुहार लगायी है।

न्यूयार्क स्थित मानवाधिकारवादी संगठन सेण्टर फॉर कांस्टिट्यूशनल राइट्स/ सीसीआर /तथा अन्य संगठन पर वाइवर्स नेटवर्क ने अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में एक शिकायत दाखिल करके आरोप लगाया है कि ईसाइयत के सर्वोच्च आध्यात्मिक धार्मिक केन्द्र वेटिकन के शीर्ष अधिकारियों ने यौन अपराधों को सहन करके और उन्हें होने देकर मानवता के विरुद्ध अपराध किया है। हालांकि युद्धापराधों की सुनवाई के लिए विशेष रूप से बने अन्तरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा इस शिकायत को विचारार्थ स्वीकार किए जाने की संभावना कम है।

पाक उच्च न्यायालय ने दिए

१६० वर्ष पुराने मंदिर के द्वार खोलने के आदेश

पेशावर, 22 सितम्बर। यह जानते हुए भी कि पाकिस्तानी वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिन्दुओं को मंदिर की सम्पत्ति पर कब्जा नहीं लेने देंगे, पेशावर उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों जब वहां के 160 साल पुराने मंदिर के द्वार खोले जाने का आदेश जारी किया तो वहां रह रहे हिन्दुओं की खुशी का ठिकाना न रहा।

गत 15 सितम्बर को एक हिन्दू महिला फूलवती की याचिका पर सुनवाई करते हुए पेशावर उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने पेशावर के गोरकतरी क्षेत्र के पुरातात्विक प्रांगण में स्थित ऐतिहासिक गोरखनाथ मंदिर की पूजा के लिए द्वार खोलने का आदेश दिया। यद्यपि न्यायालय ने मंदिर का नियंत्रण सरकार के ही हाथ में रखने का आदेश दिया, किन्तु इसी के साथ न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया कि वे पूजा स्थल की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करें और हिन्दुओं को पूजा करने से न रोकें। हालांकि न्यायालय के आदेश के बावजूद विभाजन के बाद से अब तक बंद पड़े इस मंदिर के द्वार अभी तक पूजा के लिए नहीं खोले गये हैं।

फूलवती के अटार्नी परवेज इकबाल ने 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' को बताया कि इस मंदिर का मालिकाना हक फूलवती के पति पंडित कम्भुराम के पास है। विभाजन के समय श्री कम्भूराम ने सैटलमेंट कमिश्नर को एक आवेदन पत्र भेजकर आग्रह किया था कि विभाजन के बाद वह भारत नहीं जा रहा है और पाकिस्तान में ही रहेगा। इसलिए मंदिर की सम्पत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित न किया जाए। इसके बाद सैटलमेंट कमिश्नर द्वारा एक आदेश भी जारी हुआ था।

परवेज ने बताया कि हालांकि बाद में पुलिस ने फूलवती को कहा कि वह मंदिर तथा उससे सटी संपत्ति का उपयोग करने के लिए सरकार से अनुमति प्राप्त करे। बाद में उसे सरकार से अनुमति भी प्राप्त हो गयी, किन्तु वर्ष 2002 में उसे उस संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पडा। इसके तुरन्त बाद पुलिस ने फूलवती के बेटे काका राम को गिरफ्तार कर लिया और पेशावर विकास प्राधिकरण ने उस सम्पत्ति पर ताला लगा दिया।

परवेज ने आरोप लगाया कि पुलिस ने वहाँ से लाखों रूपये मूल्य की मूर्तियाँ, करोड़ों रूपये मूल्य की मेज तथा मंदिर के गुम्बद में लगे स्वर्ण को अपने कब्जे में ले लिया। उसने बताया कि उन्होंने 2003 में पेशावर न्यायालय में अपनी याचिका दायर की थी, किन्तु उस समय उनकी याचिका को निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां एक बार फिर उनकी याचिका को निरस्त कर दिया गया। वहां से उन्हें कहा गया कि वे इवेक्यू प्रोपर्टी बोर्ड का दरवाजा खटखटाएं। किन्तु आर्थिक तंगी के कारण वे इवेक्यू प्रोपर्टी बोर्ड के समक्ष अपनी याचिका नहीं लगा सके।

उस समय उन्होंने उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, पेशावर उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य अधिकारियों को एक पत्र भेजा। वही पत्र बाद में पेशावर उच्च न्यायालय ने एक याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया। वास्तव में उसी पत्ररूपी याचिका पर सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने मंदिर में पूजा–अर्चना की अनुमति प्रदान की है।

पुरातत्व विभाग के सलाहकार डॉ0 अब्दुल समद ने 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' को बताया कि चूंकि यह मंदिर पुरातात्विक महत्व की सम्पत्ति है इसलिए वह किसी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं दी जा सकती है। अब हिन्दू वहां जब चाहें पूजा–अर्चना कर सकते हैं, किन्तु मंदिर के ताले की चाबी उन्हें नहीं सौंपी जाएगी। ('द एक्सप्रेस ट्रिब्यून', पाक)

प्रेषक : vskap1@gmail.com

पाक से सब कुछ गंवाकर आए हिन्दुओं पर केन्द्र सरकार की निगाह कब ?

इतिहास को अपने सामने स्थापित होते और उजड़ने की गवाह रही यमुना के किनारे बसे मजनू का टीला इलाके में आजकल उन हिन्दू परिवारों का दर्द बह रहा है जो पाकिस्तान से उजड़ कर यहां शरणार्थी बने हुए हैं, विस्थापित हिन्दू परिवारों ने गृह मंत्रालय से यहां शरण लेने के लिए वीजा की अवधि बढ़ाने की मांग की है। पाक के अत्याचारों और पाकिस्तान के पंजाब में कल तक रह रहे इन हिन्दू परिवारों ने जो हैरतअंगेज दास्तान दास्तान सुनाई, वह पाक हकूमत की देखरेख में हो रहे अत्याचारों का प्रमाण है।

इससे भी बड़ी दुःखदायी बात यह है कि केन्द्र सरकार ने इन्हें दिल्ली में रहने का स्थायी वीजा नहीं दिया। इन हिन्दुओं का वहां जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तथा मुस्लिम कायदे कानून से तालीम दी जा रही है। अब ये हिन्दू परिवार अपने बने बनाए आशियाने पाकिस्तान के पंजाब में छोड़कर यहां जिन्दगी बसर करना चाहते हैं। वहां का आतंकवाद इन लोगों के दिलोदिमाग पर हावी है। हालांकि इन 114 लोगों को सरकार ने वीजा तो प्रदान किया पर अब उसकी अवधि खत्म हो रही है और ये परिवार वीजा अवधि बढ़ाए जाने की

चीन के प्रोत्साहन से नेपाल भी भारत पर अतिक्रमण की राह पर

लखीमपुर खीरी (उ0प्र0), 18 सितंबर। चीन की शह पर नेपाल भी भारत की जमीन पर कब्जा करने के मकसद से भारत नेपाल सीमा पर पुराने सीमा स्तंभों को एक सुनियोजित साजिश के तहत हटा रहा है। इस समय नेपाल में माओवादी नेता बाबूराम भट्टाराई प्रधानमंत्री हैं। इनके संबंध भी चीन से मधुर बताए जाते हैं। इसी वजह से भारत–नेपाल सीमा पर माओवादियों ने अब तक कम से कम 525 सीमा स्तंभों को गायब कर भारत नेपाल की सीमा रेखा मिटाने की कोशिश की है।

सीमा पर एसएसबी की तैनातगी के बावजूद वे दुस्साहस करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस मामले पर न तो उत्तर प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है और न ही केंद्र सरकार गंभीर रूप से ध्यान दे रही है। इसे लेकर सीमा क्षेत्रों में तनाव दिन पर दिन बढ़ रहा है। भारत–नेपाल सीमा पर बनाए गए सीमा स्तंभों के मिटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों की सीमा पर बने कई सीमा खंभों की स्थिति जर्जर है। नो मेंस लैंड (बिना आबादी वाला क्षेत्र) का नेपाल के नागरिक लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं। नेपाल सरकार को मालूम है कि माओवादियों ने दो साल पहले से भारत नेपाल सीमा पर लगभग 525 सीमा स्तंभों को साजिश के तहत उखाड़ कर गायब कर दिया है।

सूत्रों के मुताबिक गायब किए हुए इन सीमा स्तंभों की स्थिति को लेकर एसएसबी की खुफिया विभाग शाखा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचना दे दी है। 2009 में नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल के सीमा सुरक्षा विभाग के किए गए सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया था कि भारत–नेपाल की 1751 किलोमीटर लंबी सीमा पर 3529 सीमांत स्तंभ है। इनमें से 474 का अता–पता नहीं है। 1171 पिलर क्षतिग्रस्त हैं। 2009 के बाद 51 सीमा स्तंभों को और उखाड़ कर गायब कर दिया गया। लगातार सीमा स्तंभों को उखाड़कर गायब करने का सिलसिला जारी है। इसकी जानकारी नेपाल सरकार को भी है लेकिन वह इस मामले पर गंभीर रूप से कोई रूख नहीं अख्तियार कर रही है।

इससे लगता है कि नेपाल सरकार के मन में खोट है। इसी वजह से वह सीमा स्तंभों को उखाड़कर गायब करने वाले माओवादी गिरोह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जबकि इस संबंध में दिखावे के रूप में एक समिति गठित की गई थी। यह समिति नेपाल के सशस्त्र प्रहरी बल के अतिरिक्त महानिरीक्षक किशोर कुमार लाभा के

भारत-नेपाल सीमा पर माओवादियों ने अब तक कम से कम ५२५ सीमा स्तंभों को गायब कर भारत-नेपाल की सीमा रेखा मिटाने की कोशिश की है।

शेष पृष्ठ – 8 पर

गुजारिश कर रहे हैं। डेरा बाबा धुणी दास अलखपुर शाख धाम में इनके लिए खुला आकाश ही आशियाना है। जहां लंगर से ये फिलहाल जिन्दगी की गाड़ी खींच रहे हैं। ये विस्थापित हिन्दू परिवार गत 4 सितम्बर को दिल्ली में पासपोर्ट और वीजा पर स्थाई रूप से रहने के लिए भारत में प्रवेश कर गए। अब अपने छोटे–छोटे बच्चों के साथ सबको आसरा देने वाली दिल्ली की शरण में हैं।

इन लोगों ने बताया कि हम लोग पाकिस्तान में पाकिस्तानियों से दुःखी हेकर यहां स्थाई रहने के लिए अपनी हर चीज को छोड़कर आए हैं। इसका कारण यह है कि वहां हमें किसी तरह की कोई जान व माल की सुरक्षा नहीं मिली और अपना वतन ही एकमात्र विकल्प था। उनकी बहन–बेटी की किसी किस्म की कोई सुरक्षा नहीं है। कई बच्चों को घर से जबरदस्ती उठाकर धर्म परिवर्तन किया गया है और अभी भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान सरकार से निवेदन करने पर भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है।

इन लोगों ने रो–रोकर बताया कि हमारे बच्चों को जो शिक्षा दिलाई जा रही है वो मुस्लिम तरीके से दिलाई जा रही है, जो हिन्दुओं के लिए एक भारी समस्या है। आंसू थमने का नाम नहीं लेते। काम पर जाने के बाद वापस आने की कोई गारण्टी नहीं है। आतंकवाद पूरे जोर–शोर पर है, हम लोगों के लिए एक आफत है जिससे अपनी जान बचाकर यहां भारत में शरण लेना चाहते हैं, इसके अलावा चारा भी कोई नहीं। हिन्दू परिवारों को किसी किस्म की आजादी नहीं है, वहां घुट–घुट कर अपना समय बिता रहे थे। इन लोगों ने बताया कि भारत सरकार ने मेहरबानी कर यहां का वीजा प्रदान किया है और आगे भी वीजा की अवधि बढ़ा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से विस्थापित को रहने की सुविधा, बच्चों की शिक्षा व खान–पान की सुविधा देने के लिए सहयोग स्थायी रूप से किया जाए।

हम चाहते हैं कि हमें वे सभी सुविधाएं मिलें जो एक हिन्दू परिवार को यहां मिलती है क्योंकि हम भी हिन्दू भाई हैं। इन लोगों ने कहा कि हिन्दू विस्थापित परिवारों को हर सूरत में यहां रखा जाए और जलती आग में वापस पाकिस्तान न भेजा जाए। (24 सितम्बर)

– प्रविन्द्र शारदा/नई दिल्ली।

उनकी बहन–बेटी की किसी किस्म की कोई सुरक्षा नहीं है। कई बच्चों को घर से जबरदस्ती उठाकर धर्म परिवर्तन किया गया है और अभी भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है।

३५ साल बाद भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं की गलती मानी; परन्तु...

उच्चतम न्यायालय की एक पांच सदस्यीय खंडपीठ के सदस्य के रूप में बहुमत से यह फैसला देने के बाद कि जीने का अधिकार भी रद्द किया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री पी.एन. भगवती ने अब 35 साल बाद माना है कि उनका वह फैसला गलत है। उन्होंने अपने उस फैसले के लिए खेद व्यक्त किया है।

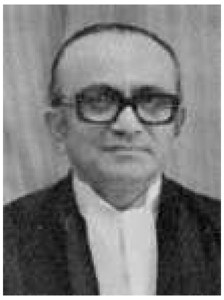

नई दिल्ली में 'द इंडियन एक्सप्रेस' से एक बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि, ''मैं गलत था। उस समय दिया गया बहुमत का वह फैसला सही नहीं था। यदि वह मामला बाद में पुनर्विचार के लिए मेरे सम्मुख आया होता तो मैं निश्चित रूप से उस समय न्यायमूर्ति (एच.आर. खन्ना) के विचार का ही समर्थन करता। उस निर्णय के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं।''

उल्लेखनीय है कि 1976 में 'हीबस कॉर्पस' नाम से प्रसिद्ध 'ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकान्त शुक्ला' मामले में न्यायमूर्ति श्री पी.एन. भगवती, श्री ए. एन. राय, श्री वाई.वी. चन्द्रचूड़ और श्री एम.एच. बेग का मत तत्कालीन इन्दिरा गांधी सरकार के पक्ष में था, जिसमें कहा गया था कि आपातकाल के दौरान जीने का अधिकार भी रद्द माना जाता है। उस निर्णय को देश के न्यायिक इतिहास के अत्यंत काले अध्यायों में से एक माना जाता है, क्योंकि उसके कारण नागरिकों के मूलाधिकारों पर कुठाराघात हुआ था।

श्री भगवती ने कहा, ''मुझे नहीं मालूम मैं उस समय अपने साथियों की राय से कैसे सहमत हो गया। प्रारम्भ में मैं बहुमत के उस निर्णय से सहमत नहीं था। किन्तु आखिर में मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ कि मुझे उसमें शामिल होने के लिए मना लिया गया। मैं तो उस समय एक नया–नया न्यायाधीश बना था, एक युवा न्यायाधीश... इस प्रकार का मामला मेरे सामने पहली बार आया था। **लेकिन इस मामले में मेरी तरफ से बहुत कमजोरी दिखायी गयी।''**

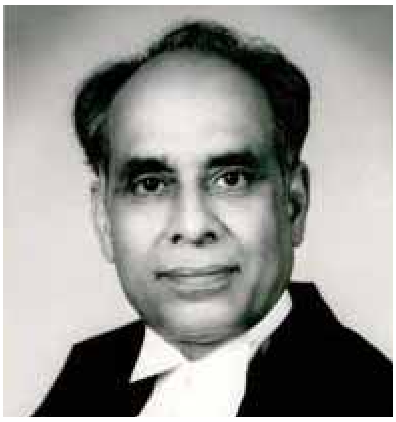

उस खंडपीठ में न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना एकमात्र ऐसे जज थे, जिन्होंने बहुमत के निर्णय का यह कहते हुए विरोध किया था संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता कि जीने व स्वतंत्रता के अधिकार को कार्यपालिका द्वारा किसी भी स्थिति में रद्द किया जाए। अपनी उस अलग राय के कारण उस समय उन्हें अपने मुख्य न्यायाधीश के पद से भी हाथ धोना पड़ा था।

श्री भगवती ने दावा किया कि उनके द्वारा नागरिकों के मूलाधिकारों के संबंध में दिये गये बाद के सभी निर्णय संविधान के अनुरूप थे। यह पूछे जाने पर कि क्या वह किसी बड़े पद को प्राप्त करने के लिए एक लालच था, श्री भगवती ने कहा, ''मैं यह नहीं कह सकता। मेरे द्वारा यह कहना उचित नहीं होगा।''

संयोग से आपातकाल के दौरान न्यायमूर्ति श्री भगवती ने इंदिरा गांधी सरकार की प्रशंसा की थी। लेकिन बाद में जैसे ही जनता पार्टी सरकार सत्ता में आयी तो उन्होंने इंदिरा गांधी की कड़ी आलोचना शुरु कर दी। किन्तु कुछ समय बाद जैसे ही इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आयीं तो उन्होंने श्रीमती गांधी को एक विस्तृत पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा, ''मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी लौह इच्छाशक्ति, दृढ़ निश्चय, पारखी नजर, ऊर्जायुक्त दृष्टि, विशाल प्रशासनिक क्षमता, विशाल अनुभव, लोगों के लिए उत्साहजनक प्यार तथा स्नेह और इन सबसे अधिक गरीबों तथा कमजोरों के दुःख को समझने वाला हृदय आपके पास है और इन सबकी मदद से आप इस देश के जहाज को अपने लक्ष्य तक सुरक्षित पहुंचाने में सफल होंगी।''

– मनीष छिब्बर

(द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2011)

पृष्ठ 07 का शेषांश

नेतृत्व में गठित की गई थी। इसने 15 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखी थी। भारत नेपाल सीमा मोर्चा से लेकर पश्चिम में महाकाली तक फैली है। नेपाल की तराई के 18 जिले भारतीय सरहद को छूते हैं। रिपोर्ट में एक दर्जन स्थानों पर भारत के एसएसबी के शिविर और कुछ स्थानों पर लोगों के मकान बना लेने की बातें शामिल थीं।

झापा जिले में इन स्तंभों को भारतीय सीमा के काफी अंदर खिसका दिया गया है। अतरिया में नो मैंस लैंड पर नाला बनाने की भी जानकारी मिली है। एसएसबी की खुफिया एजेंसियों की सीमांत स्तंभों के बारे में भेजी रिपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्रालय नेपाल के मित्र राष्ट्र होने के कारण कोई फैसले लेना नहीं चाहता। लेकिन सुरक्षा बलों के अधिकारियों का मानना है कि यदि इस गंभीर मुद्दे पर फैसला नहीं किया गया, तो आने वाले सालों में नया विवाद खड़ा हो सकता है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि चीन से नेपाल सरकार को धन भी मिल रहा है। चीन के मौखिक आदेश पर नेपाल सरकार की शह पर माओवादी सीमा स्तंभों को गायब कर भारत–नेपाल सीमा रेखा को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। जब सीमा रेखा मिट जाएगी तब नेपाल और भारत में मित्रता की जगह पर विवाद पैदा हो जाएगा।

मेधा पाटकर के स्वैच्छिक संगठन की उच्चतम न्यायालय ने नकेल कसी

मेधा पाटकर के गैर सरकारी संगठन, नर्मदा बचाओ आन्दोलन, की साख पर अब हमेशा के लिए बट्टा लग गया है। उच्चतम न्यायालय ने 29 सितम्बर को सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भविष्य में इस संगठन द्वारा उठाये गये किसी भी मुद्दे पर 'सावधानीपूर्वक' तथा 'सोच समझकर' ही स्वीकार किया जाए।

उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध के विस्थापितों को क्षतिपूर्ति दिये जाने के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नर्मदा बचाओ आन्दोलन की गतिविधियों पर सवाल उठाये। संगठन ने बिना ठोस तथ्यों के मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर आधारहीन सवाल उठाये थे।

इस साल मई में जारी अपने फैसले में न्यायालय ने राज्य सरकार की कार्रवाई को उचित ठहराते हुए नर्मदा बचाओ आन्दोलन के आरोपों को बेबुनियाद पाया और कहा कि संगठन ने न्यायालय को गुमराह किया। न्यायालय ने संगठन द्वारा दायर शपथपत्रों पर सवाल उठाते हुए उन्हें एकदम झूठे तथा भ्रमित तथ्यों पर आधारित बताया। वास्तव में शपथपत्रों में दिये गये उन्हीं गलत तथ्यों के आलोक में न्यायालय ने संगठन की गतिविधियों पर ऐसी सख्त टिप्पणी की।

न्यायालय की ऐसी सख्त टिप्पणी से घबराकर बाद में नर्मदा बचाओ आन्दोलन ने एक याचिका दायर कर न्यायालय से अपने फैसले में संशोधन कर इस सख्त टिप्पणी को हमेशा के लिए हटाने का अनुरोध किया। इस पुनर्विचार याचिका पर टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति जेएम पंचाल, श्री बीएस चौहान तथा श्री दीपक वर्मा की खंडपीठ ने कहा, ''हम अपने पूर्व के आदेश में सिर्फ इतना संशोधन करते हैं कि जो तथ्य न्यायालय के समक्ष हैं उन्हें देखते हुए हमारा यह निष्कर्ष है कि नर्मदा बचाओ आन्दोलन ने जिम्मेदारीपूर्वक अपने कर्त्तव्य का निर्वाह नहीं किया है।''

बांध के कारण विस्थापितों की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने कहा कि ''हम आदेश देते हैं कि भविष्य में यदि कोई भी मामला नर्मदा बचाओ आन्दोलन द्वारा लाया जाता है तो उस पर अत्यंत सावधानीपूर्वक तथा सोच समझकर ही विचार किया जाए।'' वर्तमान मामले में नर्मदा बचाओ आन्दोलन ने न्यायालय में शपथपत्र दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने जो 284 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया, वह पूरी तरह गलत था। जबकि बाद में मौके पर की गयी जांच से पता चला कि ये सारे आरोप गलत थे। इसलिए न्यायालय ने कहा कि भविष्य में इस संगठन की ओर से यदि कोई बयान दिया जाए तो वह संगठन के किसी जिम्मेदार नेता की ओर से सिर्फ शपथपत्र के रूप में ही स्वीकार किया जाए। वर्ष 2003 में जब से ओंकारेश्वर बांध का निर्माण कार्य आरम्भ हुआ, तो पांच गांव की जमीन का अधिग्रहण विवाद में रहा।

मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के 23 सितम्बर, 2009 के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की थी और उसी अपील पर न्यायालय ने नर्मदा बचाओ आन्दोलन के संबंध में इस प्रकार की सख्त टिप्पणी की।

(पी0एन0एस0, नई दिल्ली, 30 सितम्बर)

अयोध्या मसले पर निर्णय देने वाले तीनों जजों की हत्या हेतु सिमी द्वारा रचा गया षडयंत्र विफल

अपने चौंका देने वाले एक रहस्योद्घाटन में केन्द्रीय गृहमंत्री पी0 चिदम्बरम ने 15 सितम्बर को नई दिल्ली में बताया कि खुफिया एजेंसियों को आतंकी संगठन सिमी द्वारा गठित एक दस सदस्यीय ऐसे गिरोह की जानकारी मिली थी, जिसने (उन्होंने) उन तीनों जजों की हत्या का षडयंत्र रचा था, जिन्होंने अयोध्या मामले में गत वर्ष निर्णय दिया था। गृहमंत्री ने यह जानकारी नई दिल्ली में राज्य पुलिस तथा खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के वार्षिक सम्मलेन को सम्बोधित करते हुए दी।

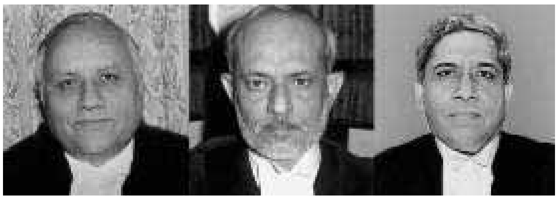

यह दावा करते हुए कि खुफिया एजेंसियों को आतंकवाद के विरुद्ध बड़ी सफलता मिली है, गृहमंत्री ने कहा कि 26/11 के बाद सुरक्षा बलों तथा खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों के 51 षडयंत्रों को विफल किया है। ''जून 2011 में मध्य प्रदेश में सिमी द्वारा रचे गये एक ऐसे षडयंत्र का पर्दाफाश किया गया, जिसमें आतंकी संगठन के दस सदस्यों की एक टीम ने उन तीनों जजों की हत्या करने की योजना बनायी थी, जिन्होंने पिछले साल अयोध्या मसले में फैसला दिया था।''

(पी0एन0एस0, नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2011)

दृष्टव्य

तीसरी संतान पर दण्ड का प्रस्ताव : केरल महिला आयोग दो फाड़

केरल सरकार द्वारा नियुक्त महिला एवं बाल अधिकार एवं कल्याण आयोग में दरार पड़ गयी है। इस आयोग द्वारा राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से एक वीमन कोड बिल लाया गया है, जिसमें उन सभी माता–पिता के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है जो दो से अधिक बच्चे पैदा करते हैं। हालांकि इस प्रस्तावित प्रावधान पर अनेक धार्मिक तथा नागरिक अधिकार संगठनों ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है।

बारह सदस्यीय इस आयोग की एक सदस्या, कैप्टन सेरेना नवास, ने आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री वी.आर. कृष्णा अय्यर को एक पत्र लिखकर निवेदन किया कि वे विधेयक के मसौदे से इस विवादित हिस्से को हटा दें। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष से यह निवेदन भी किया कि वे इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिखने के साथ–साथ इस विवादित हिस्से को हटाने के संबंध में एक सार्वजनिक बयान भी जारी करें।

किन्तु न्यायमूर्ति अय्यर ने इस सुझाव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि वे अपनी उस रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं करेंगे, जो वे मुख्यमंत्री ओमन चेंडी को पिछले सप्ताह प्रस्तुत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि, ''पहले इस संबंध में कोई व्यक्ति अपनी आपत्तियां लेकर सामने तो आए। मेरे नेतृत्व वाली समिति को इस प्रकार के बयान देकर कोई भयभीत नहीं कर सकता।''

वीमन्स कोड बिल 29011 के मसौदे में यह प्रस्ताव है कि दो से अधिक बच्चों वाले माता पिता को दंडित किये जाने के साथ–साथ सरकारी सहायता सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिलेगी, जिनके पास दो या उससे कम बच्चे हैं। इस प्रस्ताव के विरुद्ध अनेक ईसाई, मुस्लिम व महिला संगठनों सहित कई राजनीतिक दलों ने भी कड़ी आपत्ति व्यक्त की है।

विधेयक के मसौदे में प्रावधान है कि जो मां-बाप दो से अधिक संतान पैदा करते हैं उन्हें कम से कम 10,000 रुपये के अर्थ दंड तथा तीन महीने के कारावास की सजा होनी चाहिए।

कैप्टन सेरेना नवास ने कहा कि आयोग ने जो रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है उसमें इस सुझाव पर आयोग के सभी सदस्यों की सहमति नहीं थी। उन्होंने बताया कि आयोग की किसी भी बैठक में सभी 12 सदस्यों ने कभी भाग नहीं लिया। सदस्यों ने अपने सुझाव लिखित में दिये और यदि अंतिम रिपोर्ट देने से पूर्व आयोग के सदस्यों की फुल कोरम की बैठक आयोजित की गयी होती तो उस बैठक में ही इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है और जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास को हतोत्साहित करने वाले किसी भी प्रयास को अपराध माना जाना चाहिए। विधेयक के मसौदे में प्रावधान है कि जो मां–बाप दो से अधिक संतान पैदा करते हैं उन्हें कम से कम 10,000 रुपये के अर्थ दंड तथा तीन महीने के कारावास की सजा होनी चाहिए।

इस पर टिप्पणी करते हुए कैप्टन सेरेना ने कहा कि मैं स्वयं चार बच्चों की मां होते हुए इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव से कभी सहमत नहीं हो सकती हूं। उन्होंने कहा, ''आयोग के बहुत से सदस्य इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। किन्तु उन्हें अपनी बात रखने का इसलिए मौका नहीं दिया गया क्योंकि वे इसे अस्वीकार कर देते।''

न्यायमूर्ति श्री अय्यर पर टिप्पणी करते हुए 2008 में सेना से सेवानिवृत्त हुई कैप्टन सेरेना ने कहा कि, ''कोई भी समिति अथवा आयोग सिर्फ एक सदस्य की रुचि के अनुसार रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकता। इसे सम्पूर्ण समाज के हितों को ध्यान में रखकर ही विचार करना चाहिए।''

(पी0एन0एस0, नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2011)

ओडीशा में सरकारी जमीन पर बने अवैध चर्च को ढहाने का आदेश

फुलबनी। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाये गये एक चर्च को लेकर जी. उदयगिरी तहसील की नदागिरी पुनर्वास कालोनी के निवासियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 2008 के दंगों के दौरान जी उदयगिरि तहसील के बेटीकोला गांव तथा रटींगिया पंचायत के करीब 61 ईसाई परिवारों को प्रशासन द्वारा नदागिरी पुनर्वास कालोनी में बसाया गया था। दंगों के दौरान इन लोगों के घरों को काफी नुकसान पहुंचा था। यह कालोनी सरकारी जमीन पर बसी है। किन्तु वर्ष 2009 में स्थानीय निवासियों ने पुनर्वास कालोनी के निकट ही अवैध रूप से सरकारी जमीन पर एक चर्च का निर्माण कर लिया था।

इसी बीच जी. उदयगिरि के तहसीलदार निगमानन्द पंडा ने नदागिरि ईसाई समुदाय के नेता कृशंत मलिक को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से चर्च का निर्माण करने के कारण क्यों न उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कारण बताओ नोटिस में उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वे नोटिस मिलने के बाद 30 दिन के अंदर स्वयं उस अवैध चर्च को ढहा दें, अन्यथा उसके बाद प्रशासन स्वयं उसे ढहा देगा। इसके उत्तर में मलिक ने कहा कि चूंकि वहां के ईसाइयों के पास प्रार्थना के लिए कॉलोनी के अंदर कोई स्थान नहीं था, इसलिए उन्होंने सरकारी जमीन पर वह चर्च बनाया। इसी प्रकार का एक अन्य नोटिस राइकिया तहसील के मंदसौर ग्राम के निवासियों को भी जारी किया गया है।

(द न्यू इंडियन एक्सप्रैस, 29.08.2011)प्रेषक : केशवानंद मुंजाल

मेरे विरुद्ध दायर केस वापस लेने को कहें पीएम

– डॉ. सुब्रमण्यन स्वामी

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर। जनता पार्टी प्रमुख सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा है कि उनके खिलाफ दायर प्राथमिकी के मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हस्तक्षेप करते हुए दिल्ली पुलिस से कहना चाहिए कि वह इस मामले को वापस ले।

डॉ. स्वामी के खिलाफ दो समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने संबंधी मामला दर्ज हुआ है। प्राथमिकी को मूर्खतापूर्ण और बेदम बताते हुए डॉ. स्वामी ने कहा कि यह प्राथमिकी 2जी स्पेक्ट्रम मामले में कठोर जांच के डर के चलते दायर हुई है।

गौरतलब है कि इस साल जुलाई में एक समाचारपत्र में मुसलमानों के बारे में विवादास्पद लेख लिखने के मामले में जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यन स्वामी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। इस संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पुलिस से शिकायत की थी।

जुलाई में डॉ. सुब्रमण्यन स्वामी ने यह लेख लिखा था। इस पर काफी विवाद हुआ था। अगस्त में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली पुलिस से मामले की शिकायत की थी। पुलिस ने कानूनी विशेषज्ञों से राय लेने के बाद रविवार को सुब्रहमण्यन स्वामी के खिलाफ धारा 153 ए के तहत मामला दर्ज कर लिया।

हारवर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्याता डॉ. स्वामी ने लेख में कहा था कि भारतीय हिंदुओं को आतंकी गतिविधियों के खिलाफ सामूहिक तौर पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करें और दिल्ली पुलिस से प्राथमिकी वापस लेने को कहें। (एजेंसी)

धर्मान्तरण कराने वाली संस्था पर पुलिस का छापा

देवास (म0प्र0)। उज्जैन रोड पर मैनाश्री कालोनी में एक क्रिश्चियन संस्था द्वारा लंबे समय से भोले–भाले लोगों के परिवारों को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। आसपास के रहवासी भी यह जान चुके थे। गरीब बेसहारा तबके के लोगों का धर्मान्तरण कराया जा रहा है। कोतवाली पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मैनाश्री कालोनी के उक्त मकान पर छापा मारकर जब सख्ती से पूछताछ शुरु की तो सारा मामला उजागर हो गया। जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ऐसे लोगों के पुलिस ने बयान लिए हैं। रात तक कोतवाली पुलिस धर्मान्तरण के मामलों की कायमी करने की बात कर रही है।

(स्वदेश, भोपाल, 13 सितम्बर)

फ्रांस में बुर्का पहनने पर दो महिलाओं को सजा

पेरिस (एजेन्सियां), 22 सितम्बर। फ्रांस में दो मुस्लिम महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने के लिए पहली बार सजा सुनाई गई है। हिन्द अहसास और नजाइत अली नाम की दो महिलाओं को फ्रांस के नए कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। इनमें से एक पर 120 यूरो और दूसरी पर 80 यूरो जुर्माना लगाया गया है।

इस साल अप्रैल में फ्रांस ने एक कानून बनाकर सार्वजनिक जगहों पर पूरे चेहरे को ढके हुए बुर्के को पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी। अहमास और नजाइत को मई के महीने में पूर्वी पेरिस में नियोक्स टाउन हॉल के बाहर बुर्का पहने हुए पाया गया था। पहली बार वह इन दो महिलाओं पर जुर्माना लगाया गया है। उन दोनों को जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है।

विहिप को गोविन्दगढ़ में समरसता सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति न देने का तीव्र प्रतिरोध

राजस्थान के भरतपुर में दंगा प्रभावित गोपालगढ़ के निकट गोविन्दगढ़ में 30 सितम्बर को विश्व हिन्दू परिषद ने एक समरसता सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की थी, ताकि सभी समुदायों को एक साथ लाकर सद्भाव कायम किया जा सके। किन्तु अलवर प्रशासन ने इसके लिए अनुमति प्रदान नहीं की।

उल्लेखनीय है कि दो सप्ताह पूर्व भरतपुर के गोपालगढ़ में पुलिस फायरिंग के दौरान दस लोग मारे गये थे। प्रशासन द्वारा सम्मेलन की अनुमति प्रदान नहीं करने के विरोध में गोपालगढ़, पहाड़ी नगर तथा अन्य स्थानों पर 29 सितम्बर को बंद आयोजित किया गया। जिला प्रशासन ने गोपालगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर विश्व हिन्दू परिषद को सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति देने से मना कर दिया था। इसके विरोध में 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। निषेधाज्ञा के बावजूद बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गये, क्योंकि विहिप महामंत्री डॉ0 प्रवीण तोगड़िया उस सम्मेलन को संबोधित करने वाले थे।

जिला प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिये थे। जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक भी कार्यक्रम स्थल पर ही डेरा डाले रहे, ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो। यहीं नहीं जयपुर में भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दिनभर स्थिति पर नजर रखे हुए थे।

प्रस्तुति : लोकपाल सेठी (पी0एन0एस0, नई दिल्ली, 30 सितम्बर)

प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा

जब हमारे देश के लोग स्वतंत्रता की खुशी मना रहे थे तब उस खुशी में जहर घोलने की कोशिश करनेवाले कबाइलियों और पाकिस्तानी सेना के पांच सौ से भी ज्यादा सैनिक कत्लेआम और लूट–खसोट करते हुए कश्मीर को अपना बनाने की मंशा लिए अपने कदम बढ़ा चुके थे। जब **27 अक्टूबर 1947** को हमारे देश के लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा रियासतों के एकीकरण में अदम्य साहस और अथक प्रयासों के बाद कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराज हरीसिंह ने भारत में विलय के प्रस्ताव पर दस्तखत किये तो भारतीय सेना की पहली टुकड़ी कश्मीर में कबाइलियों और दुश्मन की सेना को खदेड़ने के लिए श्रीनगर की तरफ रवाना हुई। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना की पहली बटालियन श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरी। भारतीय सेना की दो इंफैन्ट्री बटालियन, 4 कुमाऊं और 1 सिख को इस पहली टुकड़ी के तौर पर चुना गया। **इस दिन को सेना में आज भी इंफैन्ट्री दिवस के रूप में मनाया जाता है।**

सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सर्वप्रथम सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी भारत माता की अक्षुण्ता और अखण्डता की रक्षा के लिए कुमाऊं रेजिमेण्ट की चौथी बटालियन की डेल्टा कंपनी के, कंपनी–कमाण्डर के रूप में मात्र पचपन जवानों के साथ मिलकर दुश्मन की विशालतम सेना को नाकों चने चबवा दिए और अपनी अंतिम सांसों तक हमारे देश की पवित्र धरती पर अधिकार करने की मंशा रखने वाले दुश्मनों को भी आगे नहीं बढ़ने दिया।

मैं एक इंच पीछे नहीं हटूंगा और तब तक लड़ता रहूंगा, जब तक मेरे पास आखिरी जवान और आखिरी गोली है

मेजर सोमनाथ ने अपने अंतिम क्षणों में भेजे गये रेडियो संदेश में कहा "I Shall not withdraw an inch but will fight to the last man & last round" (मैं एक इंच पीछे नहीं हटूंगा और तब तक लड़ता रहूंगा, जब तक मेरे पास आखिरी जवान और आखिरी गोली है) यही वाक्य उनके परमवीर चक्र में उल्लखित है।

मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी, 1923 को हिमाचल प्रदेश में मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा के घर हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई नैनीताल के शेरवुड नामक स्कूल में की। 22 फरवरी 1942 को 19 वर्ष की आयु में फौज के कमीशन अधिकारी के रूप में सेकिण्ड लेफ्टीनेण्ट बने। मात्र 24 वर्ष की आयु में 3 नवम्बर, 1947 को उन्होंने अपने परिवार और देश का नाम अपने प्राणों की बलि देकर किया।

मृगेन्द्रनाथ दत्त व अन्य साथी

सन् 1931 में मिदनापुर (प0बंगाल) के क्रांतिवीर अंग्रेज जिलाधिकारी के अत्याचारों से दुःखी थे। उन्होंने घोषणा कर दी––''मिदनापुर के जिलाधिकारी के पद पर किसी भारतीय को नियुक्त किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा हम उसका वध करते जायेंगे।'' ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन जिलाधिकारी जेम्स पैड्डी को कड़ी सुरक्षा प्रदान कर दी। सुरक्षा व्यवस्था को भेदना कठिन था। एक गुमनाम छात्र ने पैड्डी की हत्या कर क्रांतिवीरों के संकल्प की पहली कड़ी को पूरा कर दिया। इसके बाद पुनः अंग्रेज रोबर्ट डगलस जिलाधिकारी नियुक्त होकर आया। क्रांतिकारियों का खतरा उसके ऊपर मंडरा रहा था। वह बहुत घबराया हुआ था।

30 अप्रैल, 1932 को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग में प्रद्योत भट्टाचार्य ने उसके सीने में गोलियां पार कर दीं। प्रद्योत को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार नहीं झुकी। तीसरी बार पुनः बी0ई0जे0 बर्गे अंग्रेज जिलाधिकारी नियुक्त हुआ। अब की बार उसे ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया कि क्रांतिकारी उसके पास भी नहीं फटक सकें। लेकिन वालीबाल का खेल उसकी कमजोरी थी। क्रान्तिवीरों ने उसी का लाभ उठाया। मृगेन्द्र कुमार दत्त एवं अनाथबंधु पांजा वालीबाल के अच्छे खिलाड़ी थे। इन दोनों ने एक खेल के मैदान में उसे धड़ाधड़ गोलियां मार कर यमलोक पहुंचा दिया। मृगेन्द्र और अनाथबंधु पांजा को सुरक्षा अधिकारियों ने वहीं मार डाला। उसी समय तलाशी में निर्मल जीवन घोष, बृजकिशोर चक्रवर्ती तथा रामकृष्ण रे तीन छात्र पकड़े गए। इन तीनों ने **25 व 26 अक्टूबर, 1934** को फांसी का फंदा चूमा। छः छात्रों की शहादत के बाद ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। चौथी बार भारतीय जिलाधिकारी नियुक्त होकर आया। **उस समय इन बाल–क्रांतिवीरों की आयु सत्रह एवं बीस वर्ष के मध्य थी।**

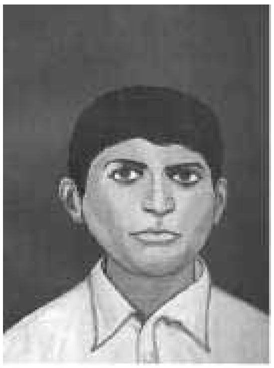

''स्वतंत्रता सेनानी सचित्र कोश'' से

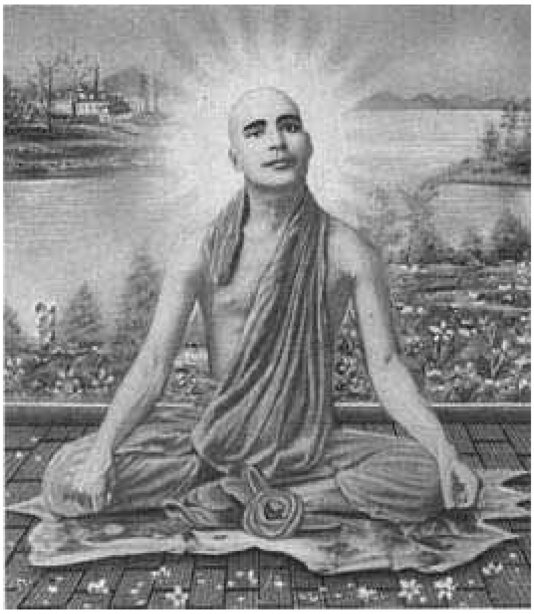

'संसार को प्रकाशमान करूँगा'

– स्वामी रामतीर्थजी

सन् 1906 की दीपावली का पावन दिन था। हिमालय की टिहरी नगरी के अपने आश्रम की छोटी–सी कुटिया में बैठे स्वामी रामतीर्थ ने एक कागज पर लिखा, 'ऐ मृत्यु, समाप्त कर दे मेरे शरीर को जो स्वतंत्र आत्मा के लिए बंधन है। मैं सूर्य और चन्द्र की उज्ज्वल किरणों में विलीन होकर संसार को प्रकाशमान करूँगा। उत्ताल तरंग वाले समुद्र का रूप धारण करके पृथ्वी को जल से सिंचित करूँगा। समीर बनकर रंग–बिरंगे पुष्पों की सुगंध से संसार को सुवासित करूँगा।' उन्होंने अपने लम्बे लेख का समापन करते हुए लिखा, 'ऐ मेरे मुक्तात्मन्, सारी चिंताओं को तूने कच्चे धागे की भांति तोड़ डाला है। अब क्या यह देह की ममता तुझसे नहीं छोड़ी जाती। चाहे देह रहे या जाए पर राम अब इसके बंधन में नहीं रहेगा।'

पूरे संसार में हिन्दू–दर्शन तथा भारतीय संस्कृति के प्रचार की धूम मचाने वाली यह विभूति अपने इन अंतिम शब्दों को लिपिबद्ध करने के बाद गंगा स्नान के लिए भागीरथी के तट पर पहुंचा। गंगा को प्रणाम करने के बाद जैसे ही उसकी पावन जलधारा के बीच पहुंचे कि मृत्यु की गोद में समा गए।

स्वामी रामतीर्थ का जन्म भी दीपावली के पावन दिन हुआ था। भारत तथा संसार को अपने प्रवचनों के माध्यम से प्रकाशमान करने के बाद प्रकाश–पर्व दीपावली के दिन ही उन्होंने मृत्यु का वरण कर अमरत्व प्राप्त किया।

दुःखी महिला बनी धर्मपारायण !

अमरीका में डॉ0 हिल्लर की बगीची में स्वामी रामतीर्थ ठहरे हुए थे। अमरीका की विख्यात फिल्म अभिनेत्री ऐनी का एकमात्र पुत्र किसी घातक बीमारी का शिकार होकर मर गया। एनी का मन पूरी तरह अशांत हो गया। उसे इस आघात के कारण दौरे पड़ने लगे। जीवन से निराश होकर वह आत्महत्या का विचार करने लगी।

उसे पता चला कि सेनफ्रांसिस्को में एक भारतीय संत आए हुए हैं। उनके पास ऐसी दिव्य शक्ति है कि वे चमत्कार के बल पर दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी क्षणभर में प्रकट कर देते हैं। एनी स्वामी रामतीर्थ के पास जा पहुंची। वह स्वामी जी के सामने बैठते ही बेटे की याद कर फफक–फफक कर रो पड़ी।

एनी ने स्वामीजी के चरणों में पड़ते हुए कहा, 'महाराज ! आप किसी भी तरह मेरा बेटा वापस दिला दें। मैं जीवनभर आपका अहसान नहीं भूलूंगी।'

स्वामीजी ने एनी का हाथ पकड़ा तथा उसे पास की एक बस्ती में ले गए। वहां अनाथालय में एक बच्चे का हाथ पकड़ाकर बोले, 'आप इसमें अपने बेटे को देखें। इसे अपने बेटे की तरह लाड़–प्यार दें। यह तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देगा।' इन शब्दों का एनी पर जादुई प्रभाव पड़ा। वह बच्चे को अपने घर ले आईं। कुछ ही दिनों में वह अनाथ बच्चा एनी के जीवन का सहारा बन गया। स्वामी रामतीर्थ के सत्संग से एनी धर्मपारायण महिला बन गई।

(श्री शिवकुमार गोयल कृत 'धर्म–क्षेत्र' से)

वाणी में जादू

स्वामी रामतीर्थ भारतीय संस्कृति तथा अध्यात्म के प्रचार के लिए पानी के जहाज से अमेरिका जा रहे थे। जहाज में उनकी साधना तथा विद्वता से अनेक यात्री प्रभावित हुए। जब जहाज सेनफ्रांसिस्को के नजदीक पहुंचा तो यात्री अपना–अपना सामान समेटने लगे। स्वामी रामतीर्थ निश्चिंत हुए समाधि में लीन थे। स्वामी जी की शांत मुद्रा को देखकर अमेरिकन यात्री मि0 हिल्लर ने उनसे कहा, 'स्वामी जी आपका बिस्तर आदि कहां हैं ?'

स्वामीजी ने उत्तर दिया, 'यह चादर तथा थैला ही मेरा सामान है।' 'स्वामी जी सेनफ्रांसिस्को में आपके कोई मित्र होंगे जिनके यहां आप ठहरेंगे ?' मि0 हिल्लर ने प्रश्न किया। स्वामी जी ने मिस्टर हिल्लर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, 'आप ही तो मेरे मित्र हैं जिनके यहां मुझे ठहरना है।'

इन शब्दों ने जादू का काम किया तथा मिस्टर हिल्लर उन्हें अपने साथ अपनी कोठी में ले गए। उनके लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की। उनके प्रवचनों के आयोजन की वह निरंतर व्यवस्था करते रहे। अंत में वे स्वामीजी के विचारों से प्रभावित होकर भारत तथा हिन्दू धर्म के प्रति अनन्य निष्ठा रखने लगे। उन्होंने अपना जीवन धर्म तथा संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया।

जन्म–निर्वाण दिवस पर विशेष

पुस्तक-परिचय

श्रीधर आचार्य

विश्व हिन्दू परिषद

धर्मप्रसार : एक राष्ट्रीय आवश्यकता

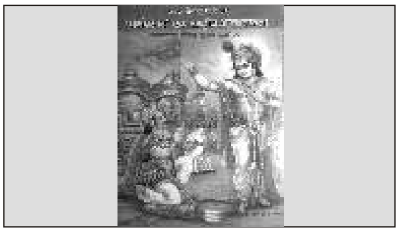

सहयोग राशि : 10 रू.

पुस्तक प्राप्ति हेतु सम्पर्क : 09968054971

श्री जुगलकिशोर जी द्वारा लिखित 'धर्मप्रसार : एक राष्ट्रीय आवश्यकता' यह पुस्तक समीक्षा के लिए सम्पादक–'हिन्दू विश्व' से प्राप्त हुयी है, आभारी हूं!

श्री जुगलकिशोर जी गत 50 वर्षों से 'हिन्दू घटा और देश बटा' समस्या से जूझ रहे हैं। उनके ओजस्वी लेखनी व स्वानुभव भरा जीवन से प्राप्त कटु सत्य कि गत 1200 वर्षों से हो रहे, इस हिन्दू समाज पर आक्रमण का इलाज क्या हो सकता है ? इस पर गांभीर्यपूर्ण सोच, चिंतन तथा कार्य का निचोड़, इस पुस्तक में हम पाठकों को मिलता है।

दुनिया में सिद्धान्त है कि ''जीवो जीवस्य कारणम'', ''बलवान की लाठी उसकी भैंस'' यह चलता है। दुर्बलस्य जीवनं नाशम्। गत हजारों वर्षों से इस पृथ्वी पर जो समृद्ध राष्ट्र, देश, समाज रहे। उनका आज पूर्ण लोप हुआ है। पुराने इजिप्त, मिस्र, रोम, ग्रीस सब इसमें कालातीत हो गये। एकमेव यह हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू समाज, हिन्दू संस्कृति आज भी संसार में ताल ठोंककर, छाती पर सारे घाव सहनकर 'बचूंगा तो और लड़ूंगा' इस जिद से जीवित है, खड़ा है। यहां पर यूनानी, शक, हूण, ग्रीक, पुर्तगीज, म्लेच्छ, अंग्रेज सब आये किन्तु यहां पर उनको मात खानी पड़ी है। कहां गए वे सब, हिन्दू समाज ने उनको आत्मसात किया। कारवां आया और इस महान भारतखण्ड में अदृश्य हुआ। आज उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं। यह चमत्कार कैसे हुआ ?

यह है हिन्दू समाज की अलौकिक आत्मसात करने की शक्ति। जैसे–शरीर अन्न ग्रहण करता है, उसका अन्दर की शक्ति से आत्मसात होता है, शरीर शक्ति बढ़ती है। यह यदि क्षीण हुई तो मनुष्य दुर्बल होता है, जर्जर होता है तथा मृत्यु को प्राप्त करता है। वैसे समाज का भी है। उसे बचाने के लिए निदान है–हिन्दू संगठन। आज हिन्दू अभी भी असंगठित रूप से आसेतु हिमालय पड़ा है। भाषा, जाति, कुसंस्कार, आपस में वैर भाव आदि बीमारियों से कष्ट पा रहा है। उसमें मुसलमान तथा ईसाई 'धर्मप्रचार' की आड़ में हिन्दू समाज के कैसे लचके तोड़ रहा है, यह आंकड़ेवार पूर्ण सत्यता के साथ श्री जुगलकिशोर जी ने प्रस्तुत किया है। इसको मनन कर पाठक को इस विषय की गंभीरता तथा कार्य करने की आवश्यकता अनुभव होगी।

The Hoary Hinduism Should go नारा देकर कार्य करनेवाले ईसाई मिशनरियों का Hen, pen, Paddy, Lady, Money देकर हजारों संख्या में हिन्दुओं को ईसाई बनाने का षडयन्त्र तथा मुसलमानों का Love JIHAD जबदरदस्ती मेले में अपहरण, दरगाह पर निपुत्री, हिन्दू महिलाओं को बुलाकर विभिन्न हथकण्डों से हिन्दू समाज को तोड़ते जाना तथा सेक्युलर के मायाजालपूर्ण विचारों से ग्रस्त शिक्षित हिन्दू समाज कैसा फंसते जाता है, यह जानकारी तथा उसे रोकने के लिए हिन्दुओं को आह्वान लेखक ने इस पुस्तक के माध्यम से अच्छे ढंग से किया है।

हिन्दू संख्या जहां घटी वहां पाकिस्तान, बांग्लादेश बना। कश्मीर समस्या हुई। देश स्वतंत्र होने के बाद भी यह धर्मान्तरण बड़े जोर–शोर से तथा आरक्षण नाम से पूरी तीव्र गति से चला है। इसके कारण हिन्दू संख्या आज शत प्रतिशत से 82 प्रतिशत पर आ गयी है। ऐसी ही यह घटती गई तो यह अजर, अमर समाज कुछ वर्षों में लुप्तप्राय हो सकता है। इसे कैसे हम बचायें ?

क्या इसे धर्मान्तरण द्वारा कैंसर जैसी बीमारी से क्षरण होने दें ? यह आह्वान सारे हिन्दू समाज के युवक, प्रौढ़ तथा विचारवान लोगों को दिया गया है। भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बताया। यह देख, यह सूर्य है और यह है जयद्रथ, चलाओ गाण्डीव, कार्य करने की प्रेरणा देता है।

यह श्राद्धपक्ष चल रहा है। हिन्दू समाज अपने पितरों को स्मरण कर दान धर्म करता है। पिण्डदान करता है। जो असंख्य साधु, संन्यासी, वीर, अनाम, नाम हिन्दू को भी अपनी कृतज्ञता, श्रद्धा अर्पण कर पिण्ड देता है। यह सत्य है कि हम सब अमृतस्य पुत्र हैं फिर भी इस पुत्रवत हिन्दू समाज को इस हिन्दू भूमि को खण्डित न होने देकर अपने पराक्रम, कार्य कुशलता, बलिदान, असीम परिश्रम से देश के कोने–कोने तक जाकर हिन्दुत्व को रक्षा, वर्धन तथा प्रभावशाली बनाने की प्रेरणा देने वाले इस पुस्तकरूपी पुष्प द्वारा 'इदं न मम राष्ट्राय स्वाहा' रूप से सारा समाज इस अमृत मंथन से फिर Spinax पक्षी जैसा ''कृण्वन्तो विश्वमार्यम'' विश्वव्यापी उड़ान लेखक के कृति से हो जाए, ऐसी शुभकामना ! (20 सितम्बर)

फूल नहीं चिंगारी...

कर्तव्यशीला वीरमती

देवगिरि के राजा रामदेव का एक वीर मराठा सरदार युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी एक अति रूपवती कन्या 'वीरमती' थी। इनकी माता का भी स्वर्गवास हो चुका था। राजा रामदेव ने 'वीरमती' का अपनी पुत्री के समान अपने यहां पालन–पोषण किया। कुछ वर्षों के पश्चात् 'वीरमती' की सगाई मराठा युवक कृष्णराव के साथ कर दी गई।

देवगिरि पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया। राजा रामदेव सेना लेकर युद्ध के लिए चल दिए। कृष्णराव के युद्ध में चलते समय वीरमती ने कहा कि सच्चा क्षत्रिय वही है जिसे रणभूमि से प्यार है। स्वाधीनता के लिए मर मिटना ही उसका धर्म है। किन्तु कृष्णराव कपटी था। हिन्दू सैनिकों ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। अलाउद्दीन युद्ध छोड़कर भाग गया। कृष्णराव ने कहा कि–कूटनीति से काम लेना चाहिए। उसने कहा कि पहिले यह पता लगाना चाहिए कि शत्रु के पास कितनी सेना तथा रसद है। मैं अकेले ही उसका भेद जानने के लिए जाऊँगा। दरअसल वह घर का भेद बताने जा रहा था।

कविता

गोपालदास 'नीरज'

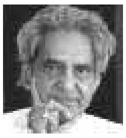

जी उठे शायद शलभ इस आस में........

जी उठे शायद शलभ इस आस में
रात भर रो रो, दिया जलता रहा।।

थक गया जब प्रार्थना का पुण्य, बल,
सो गयी जब साधना होकर विफल,
जब धरा ने भी नहीं धीरज दिया,
व्यंग जब आकाश ने हंसकर किया,
आग तब पानी बनाने के लिए
रात भर रो रो, दिया जलता रहा।।
जी उठे शायद.....................

बिजलियों का चीर पहने थी दिशा,
आँधियों के पर लगाये थी निशा,
पर्वतों की बाँह पकड़े था पवन,
सिन्धु को सिर पर उठाये था गगन,
सब रुके, पर प्रीति की अर्थी लिये
आँसुओं का कारवाँ चलता रहा।।
जी उठे शायद.....................

काँपता तम, थरथराती लौ रही,
आग अपनी भी न जाती थी सही,
लग रहा था कल्प–सा हर एक पल
बन गयी थीं सिसकियाँ साँसे विकल,
पर जाने क्यों उमर की डोर में
प्राण बंध तिल तिल सदा गलता रहा ?
जी उठे शायद.....................

सो मरण की नींद निशि फिर फिर जगी,
शूल के शव पर कली फिर फिर उगी,
फूल मधुपों से बिछुड़कर भी खिला,
पंथ पंथी से भटक कर भी चला,
पर बिछुड़ कर एक क्षण को जन्म से
आयु का यौवन सदा ढलता रहा।।
जी उठे शायद.....................

धूल का आधार हर उपवन लिए,
मृत्यु से श्रंगार हर जीवन किये,
जो अमर है वह न धरती पर रहा,
मर्त्य का ही भार मिट्टी ने सहा,
प्रेम को अमरत्व देने को मगर,
आदमी खुद को सदा छलता रहा।।

जी उठे शायद शलभ इस आस में
रात भर रो रो, दिया जलता रहा।।

सुभाषित

यत्रापि कुत्रापि गता भवन्ति,
हंसा महीमण्डनमण्डनाय।
हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम्,
येषां मरालैः सह विप्रयोगः।।

— पंडितराज जगन्नाथ

अर्थात् हंस किसी तालाब को छोड़ कर जहां कहीं भी जाते हैं, वे उस स्थान की शोभा ही बढ़ाते हैं, हानि तो केवल उस तालाब की ही होती है, जिसको छोड़कर वे जाते हैं। अर्थात् गुणी व्यक्ति कहीं भी चला जाए, उनसे उस स्थान की शोभा ही होती है। पर जहां से वे जाते हैं उसमें तो कमी आती ही है।

वीरमती ने कहा कि आप दुश्मन के यहां नहीं जावें। दुश्मन आपको बंदी बना सकता है। किन्तु कृष्णराव ने उसकी बात नहीं मानी और वह कपटी अकेला ही गया। वीरमती को उस पर शक हुआ। अतः वह पुरुष वेश में उसके पीछे चल दी। एक झाड़ी में छिपकर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति उससे भेद ले रहा था। यह देखकर वीरमती का खून खौल उठा। उसने अपने पति की छाती में तलवार भोंक दी।

कृष्णराव ने कहा कि मैं पापी हूं। उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। वीरमती ने यह कहते हुए स्वयं की छाती में कटार भोंक ली कि आपके बिना मेरा जीवन भी अब व्यर्थ है। कर्त्तव्य की बलिवेदी पर कर्त्तव्यशीला वीरमती का जीवन समर्पित हो गया। (क्रमशः...........)

पाठकीय अभिमत

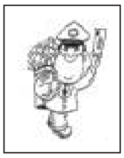

सामयिक सम्पादकीय

सितम्बर के अंक में आपका सम्पादकीय **''सिंहासन खाली करो कि जनता आती है''** ठीक समय पर सही आह्वान है। भ्रष्टाचार चुनाव से आरंभ हो जाता है। जो पद्धति चुनावों की अंग्रेज छोड़ गए हम उसी दिशा निर्देशों पर चल रहे हैं। जो चुनाव प्रणाली महात्मा गांधी जी ग्रामसभा को मूलभूत आधार मानकर ग्राम आधारित रामराज्य लाना चाहते थे उसे 1947 में नजरअंदाज कर दिया गया। 1935 का ब्रिटिश इण्डिया एक्ट को अपना कर चुनाव व्यवस्था कर दी गई जिसमें बाहुबल, धनबल और गनबल का बोलबाला चलता रहा है।

— **लक्ष्मीचंद**
गांव–बांध, डाक–भावगड्डी, कसौली, सोलन (हि0प्र0)

युवा शक्ति जाग जाए तो........

संगठन और एकता में, होता खूब दमखम।
युवा शक्ति जाग जाए तो, नहीं किसी से कम।।
अन्ना आन्दोलन ने, ढाया गजब अपार।
भारी जन सैलाब बना, परिवर्तन आधार।।
भ्रष्टाचार मुक्ति मुहिम, समूचा देश साथ जुड़ा।
बच्चा, युवा और वृद्ध, सत्य की ओर मुड़ा।।

— धर्मेन्द्र गोयल

सूर्य नमस्कार

चक्रों का अभ्यास करें

आध्यात्मिक लाभ के लिए इनके 12 चक्रों का अभ्यास करना चाहिए। शारीरिक तथा मानसिक लाभ के लिए 6 चक्रों से लेकर 15 चक्रों का अभ्यास करना चाहिए। नए अभ्यासी को 5 चक्रों का अभ्यास करना चाहिए। धीरे–धीरे प्रत्येक सप्ताह चक्र को बढ़ाएं।

लाभ – तन–मन को स्वस्थ रखता है। प्राण वायु शक्ति को बनाता है। पूरे शरीर का व्यायाम होता है। अजीर्ण रोगों को दूर करता है। पेट एवं आमाशय के दोषों को दूर करता है। आंखों की रोशनी बढ़ती है व बालों का झड़ना रुकता है।

सावधानियाँ – उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, गर्भवती महिलाएं तथा कमर दर्द, गर्दन दर्द के रोगी इसका अभ्यास न करें।

– सुनील सिंह, योग गुरु

(समाप्य)

ग्रीन मंचूरियन

सामग्री– ग्रेवी के लिए 200 ग्राम बारीक कटी पालक, 100 ग्राम बारीक कटी मेथी, 200 ग्राम टमाटर प्यूरी, 1 छोटा चम्मच लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट, 2 छोटे चम्मच ताजी क्रीम, 2 छोटे चम्मच घी, स्वादानुसार नमक, 2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 3 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 100 ग्राम बारीक कटा पत्ता गोभी, 100 ग्राम बारीक कटा फूलगोभी, 1 बारीक कटी शिमला मिर्च, 1 चम्मच कॉर्नफ्लार, 4 चम्मच मैदा, 1 चम्मच चिली सॉस, चुटकीभर हरा रंग, आवश्यकतानुसार घी, 2 छोटा चम्मच नमक और एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर।

विधि– मेथी व पालक को कुकर में एक सीटी आने तक पकाएं। पानी निथारें और मिक्सी की मदद से पालक व मेथी की प्यूरी तैयार करें। एक पैन में दो छोटे चम्मच घी गर्म करें। इसमें लहसुन व अदरक पेस्ट डालकर भून लें। इसमें टमाटर प्यूरी डालकर पकाएं। अब पालक व मेथी प्यूरी डालकर पकने दें। नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च डालें। ग्रेवी तैयार है।

मंचूरियन बनाने के लिए सभी सब्जियों को एक बर्तन में मिलाएं इसमें कॉर्नफ्लार व मैदा डालकर एकसार करें। अब सभी सॉस व चुटकीभर हरा रंग, नमक, काली मिर्च पाउडर मिलाएं। तैयार मिश्रण में आवश्यकतानुसार पानी डालकर मंचूरियन वॉल्स बनाएं और गर्म तेल में सुनहरा होने तक तल लें। गर्मागर्म ग्रेवी में तैयार मंचूरियन बॉल्स डालकर परोसें।

जन्म-दिवस समारोह

धर्मग्रन्थों को विद्यालयीय पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए

-सुरेश दासजी

अयोध्या, 27 सितम्बर। 'भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को पहचानना है तो वेदों को समझना होगा। वेद साक्षात् धर्म हैं, जिसकी रक्षा हर सम्भव होनी ही चाहिए। वेदों ने आचार–विचार–संस्कार से परिपूर्ण कर मनुष्य के जीवन मूल्यों को विकसित किया।' उक्त विचार कारसेवकपुरम् में महर्षि वसिष्ठ विद्या समिति द्वारा संचालित श्रीराम वेद विद्यालय में आयोजित वेद पूजन कार्यक्रम के दौरान मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी व समिति के अध्यक्ष कमल नयन दास महाराज ने व्यक्त किए।

साक्षात धर्म हैं वेद

- कमलनयन दासजी

उन्होंने कहा कि हम वेदों की रक्षा करेंगे तो वेद हमारी रक्षा करेंगे। साक्षात् धर्म हैं वेद। विश्व हिन्दू परिषद के अन्तरराष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक सिंहल जी ने जो प्रयास वेदों को संरक्षित रखने के लिए किए हैं, वे स्वागत योग्य हैं। वेद पूजन कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं विहिप के संयुक्त महामंत्री चम्पत राय ने कहा श्री अशोक सिंहल जी की प्रेरणा से प्रथम वेद विद्यालय की स्थापना 1994 में की गयी। जबकि इसकी कल्पना 1992 फरवरी माह में प्रयाग में आयोजित विश्व वेद सम्मेलन में की गयी थी। आज वेद की शिक्षा को संरक्षित रखने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली से प्रारम्भ हुआ अभियान कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, अयोध्या, हरिद्वार और अब जम्मू तक वेद विद्यालयों के रूप में पहुंच चुका है। वेद सत्य है और जो वेद में वर्णित है वही सत्य है। सृष्टि में जो कुछ भी है वह वेद में विद्यमान है और जो वेद में नहीं वह सृष्टि में नहीं है। हम बच्चों को केवल कर्मकाण्ड तक सीमित नहीं रखना चाहते बल्कि सम्पूर्ण वेदों की शिक्षा प्रदान कर उन्हें राष्ट्र एवं संस्कृति की रक्षा के लिए तैयार करना चाहते है।

उन्होंने बताया कि महर्षि वसिष्ठ विद्या समिति एवं महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के संयुक्त तत्वावधान में आगामी **26 से 28 नवम्बर तक अयोध्या में क्षेत्रीय वेद सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है** जिसमें उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों से 150 विद्वानों को आमंत्रित किया गया है।

सरयू निकुंज के महन्त व संस्कृत विद्वान श्रीरघुनाथ देशिक महाराज ने कहा समस्त लोकों को पवित्र तथा विजय दिलाने वाला शास्त्र है वेद। सद्गुरु सदन गोला घाट के महन्त सिया किशोरी शरण महाराज ने कहा वेद साक्षात् विग्रह का रूप हैं। जो इस पृथ्वी की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते है। वेद की शिक्षा आज की आवश्यकता है। दिगम्बर अखाड़ा के महन्त सुरेश दास ने कहा वेद, गीता, रामायण जैसे धर्मग्रन्थों को विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा संस्कृत को अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। श्रीराम का चरित्र अनुकरणीय बनाने में वेद की शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है।

vhp.ayodhya@gmail.com

वेदमय भारत का निर्माण किया जाना आवश्यक

– स्वामी वासुदेवानंदजी

प्रयागराज, 17 सितम्बर। आश्विन कृष्ण पंचमी संवत 2068 को महर्षि भरद्वाज वेद विद्यालय एवं महर्षि भरद्वाज वेद–वेदांग शिक्षण केन्द्रम् के संयुक्त तत्वावधान में वेद पूजन महोत्सव का आयोजन हुआ। ज्योतिष्पीठाधीश्वर बद्रिकाश्रम के पू0ज0गु0शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वतीजी ने श्री अशोकजी सिंहल के दीर्घायु की कामना करते हुए कहा कि आज आवश्यकता है वेदमय भारत बनाने की। वैदिक ज्ञान सम्पन्न लोग ही भारत को सही दिशा एवं दशा की ओर ले जा सकते हैं। वेद भगवान के समक्ष शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, प्रो0 योगेश्वर तिवारी, डॉ0 रामनरेश त्रिपाठी मुख्य अतिथि आदि ने दीप प्रज्ज्वलन किया। तत्पश्चात् वैदिक बटुकों के स्वस्तिवाचन के द्वारा कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। सभी नगरवासियों ने विधिवत भगवान का पूजन किया एवं बटुकों ने वेद पाठ किया।

रामलखन तिवारी ने बताया कि वेद विद्यालयों के प्रेरणास्रोत श्री अशोक सिंहल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वेद पूजन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आज अशोक सिंहल का 86वां जन्मदिवस है। मुख्य अतिथि डॉ0 रामनरेश त्रिपाठी ने कहा कि ज्योतिष वेद का नेत्ररूपी अंग है जो कि वेद से ही परिपोषित हैं। मुख्य वक्ता प्रो0 योगेश्वर त्रिपाठी (इतिहास विभाग, इ0वि0वि0) वैदिक इतिहास एवं उसकी परम्परा पर प्रकाश डाला। वेद विद्यालय के बच्चों के द्वारा अनेक कार्यक्रम सम्पन्न हुए। महर्षि भरद्वाज वेद वेदांग शिक्षण केन्द्रम् के पंकज शर्मा ने वेद महिम्न का गीत गाया, जिससे वातावरण वेदमय हो उठा। वेद विद्यालय के बच्चों ने भगत्वस्तुति पद–पाठ ब्राह्मण पाठ एवं अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन शिवनन्दन गुप्त ने किया।

maharshi.bharadwaj@gmail.com
प्रस्तुति : शम्भूनाथ व अमित शुक्ल

श्री गोपालरामजी मंदिर में डॉ. प्रवीणभाई तोगड़िया

अमदाबाद, 25 सितम्बर। सरसपुर स्थित श्री गोपालरामजी मंदिर अति प्राचीन है, प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथजी की रथ यात्रा का दोपहर–विश्राम इसी मंदिर में होता है। भगवान जगन्नाथजी का यह ननिहाल है, ऐसी मान्यता है। संत भण्डारा एवं अन्न क्षेत्र चलता है। प्रत्येक मंगलवार को सुन्दरकाण्ड का पाठ होता है। श्रीराम जन्मभूमि न्यास के कार्याध्यक्ष, अयोध्या के प.पू. महंत श्री नृत्यगोपाल दास जी महाराज के कृपापात्र एवं विश्व हिन्दू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य महंत प.पू. श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज ने डॉ. प्रवीणभाई तोगड़िया जी का वेद मंत्रों के साथ स्वागत किया।

डॉ0 तोगड़िया ने श्री गोपालरामजी मंदिर में भगवान की पूजा की। स्वामी नारायण संप्रदाय के प.पू. स्वामी पुरुषोत्तम चरण शास्त्री जी, विहिप के केन्द्रीय सहमंत्री अरविंदभाई ब्रह्मभट्ट, गुजरात के संत संपर्क प्रमुख रामरतन त्रिवेदी एवं सुन्दरकाण्ड मंडल के भक्त उपस्थित रहे।

प्रेरक कार्य

बालिका कथाकार पू. कु. अर्चना बेटी

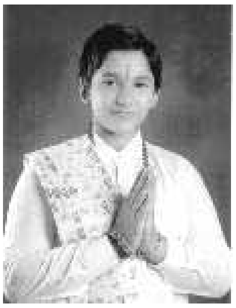

गुजरात के वडोदरा जिला के करजन नगर में भगवती भक्तिधाम अम्बाजी मंदिर के महंत प.पू. स्वामी देवनंदन गुरु सत्यानंद जी महाराज की दत्तक बेटी कुमारी अर्चना बेटी को धार्मिक संस्कार एवं शिक्षण पूज्य संतों के सान्निध्य से मिला। कु. अर्चना बेटी ने संतराम महाराज की कृपा से नडियाद में 10वीं तक अभ्यास पूरा किया। रामकथा एवं कृष्णकथा का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वृंदावन में जाकर राष्ट्रीय संत वात्सल्य मूर्ति प.पू. दीदी माँ (पू0 साध्वी ऋतम्भरा जी) से शिष्यत्व प्राप्त किया।

पू. दीदी मां ने अर्चना बेटी को रामकथा एवं कृष्णकथा–प्रवचन के लिये प्रोत्साहित किया। अम्बाव गांव में रामजी मंदिर में बालिका कथाकार कु. अर्चना बेटी जी ने रामकथा पारायण किया। ग्रामजनों ने रामकथा का रसपान किया। पू. साध्वी दीदी मांजी उन्हें पढ़ाई के साथ–साथ धार्मिक कथा प्रवचनों के लिये प्रशिक्षित कर रही हैं।

संपर्क एवं पता :
कु. अर्चना बेटी जी – 9898491121, 9725773085
द्वारा पू. देवनंदन स्वामी
भगवती भक्तिधाम आश्रम, नवा बाजार, करजन,
जिला–वडोदरा, (गुजरात)
aravindjivanjyot@gmail.com

दिल्ली में कलश यात्रा

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। संगीतमय राम कथा के अवसर पर निकाली गई कलश यात्रा से पूर्व सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष स्वामी राघवानन्द जी महाराज ने कहा कि भगवान श्रीराम जन–जन के नायक हैं। रामचरित मानस की कथा का एक–एक अक्षर अमृततुल्य है जिसका रसास्वादन प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से करना ही चाहिए।

विश्व हिन्दू परिषद दिल्ली, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा, खुखरायण वर्ल्ड ब्रदरहुड व श्री गुरु रामराय सरस्वती विद्या मन्दिर के संयुक्त तत्वावधान में नव दिवसीय संगीतमय रामकथा का आयोजन किया गया है। दिल्ली के पहाड़गंज स्थित कृष्णा मार्केट से रामकृष्ण आश्रम मार्ग होती हुई गुरु रामराय उदासीन आश्रम पहुंची। भव्य कलश यात्रा ने सभी का मन मोह लिया। यात्रा में 151 कलशों को सिर पर धारण किए राम भक्त महिलाओं के विशाल समूह के आगे कथाकार श्री रामनाथ ओझा (बक्सर वाले) पवित्र रामायण को धारण किए रथ में चल रहे थे।

ivhpmedia@gmail.com

श्रीहनुमत् - कथा

नई दिल्ली, 25 सितम्बर। संकट मोचन आश्रम–विहिप केन्द्रीय कार्यालय में श्रीहनुमत् कथा का आयोजन किया गया। 16 सितम्बर को रामकृष्णपुरम सेक्टर–1 के श्री शिव मंदिर से कलश यात्रा प्रारम्भ होकर विहिप केन्द्रीय कार्यालय पहुंची, 251 मातृशक्ति ने कलश यात्रा में सहभागिता की। 17 सितम्बर से 24 सितम्बर तक अयोध्या से पधारे डॉ0 रामविलासदास वेदान्ती जी महाराज के श्रीमुख से श्रीहनुमत् कथा सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। आठ दिवसीय श्रीहनुमत् कथा में दिन–प्रतिदिन श्रोताओं की संख्या बढ़ती चली गई।

परिषद के महामंत्री डॉ0 प्रवीणभाई तोगड़िया, संगठन महामंत्री दिनेशचन्द्र, संयुक्त महामंत्री चम्पतराय, केन्द्रीय उपाध्यक्ष ओमप्रकाश सिंहल, विहिप सलाहकार मण्डल के सदस्य विष्णुहरि डालमिया व आचार्य गिरिराज किशोर भी समय–समय पर कथा श्रवण के लिए उपस्थित रहे। कार्यकर्ता परिवार ने इस आयोजन को सफल बनाने में अथक परिश्रम किया। 25 सितम्बर को हवन पूर्ण होने के बाद भजन–कीर्तन व भण्डारा भी आयोजित किया गया।

विश्वकर्मा पूजन

17 सितम्बर को विहिप–केन्द्रीय कार्यालय में श्री विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पूजन का आयोजन किया गया जिसमें परिषद के के0सं0महामंत्री चम्पतराय व केन्द्रीय कार्यालय मंत्री कोटेश्वर शर्मा सहित परिषद परिवार ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया। 18 सितंबर को कालिन्दी कुंज घाट में विश्वकर्माजी की मूर्ति का विसर्जन किया गया।

राज्यों में अमरनाथ यात्री भवन बनाने की मांग

जम्मू, 1 सितम्बर। 'अमरनाथ श्रद्धालुओं को राज्य और देश में हज यात्रियों की तर्ज पर सुविधाएं मिलें। अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने में समाज भी अपना दायित्व अधिक जिम्मेदारी के साथ निभाए। यात्रा के लिए श्री अमरनाथ श्राईन बोर्ड छः माह पूर्व यात्रा सम्बधी प्रबंधों की प्रक्रिया शुरु करे। यात्रा की अवधि को लेकर भी कोई रोकटोक नहीं होनी चाहिए। श्रद्धालु बगैर सुरक्षा के निडर होकर यात्रा करें।'

बाबा अमरनाथ यात्री न्यास द्वारा डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभागार में अमरनाथ यात्रा प्रबंधन एवं संचालन विषय पर आयोजित एक दिवसीय गोष्ठी में प्रमुख वक्ताओं ने उक्त विचार व्यक्त किए। गोष्ठी में विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय मंत्री खेमचन्द शर्मा मुख्य अतिथि थे।

खेमचन्द शर्मा ने कहा कि देश-विदेश से हर वर्ष लाखों की संख्या में अमरनाथ यात्रा पर आते हैं। यात्रा के लिए माता वैष्णो देवी की तर्ज पर व्यवस्था होनी चाहिए। यात्रा नियमित चले, इसके लिए श्राईन बोर्ड को विचार करना होता। अच्छा होगा कि श्राईन बोर्ड छः माह पूर्व ही यात्रा के लिए प्रबंधों की प्रक्रिया शुरु कर दे।

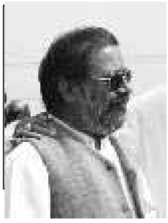

वक्ताओं ने कहा कि अमरनाथ श्रद्धालुओं को हज यात्रियों को तर्ज पर सुविधाएं मिले। देश के विभिन्न राज्यों में अमरनाथ यात्रा भवन (हाऊस) बने, उनमें पंजीकरण की व्यवस्था हो। न्यास

के अध्यक्ष सुरेन्द्र मोहन अग्रवाल ने यात्रा प्रबंधन में समाज के दायित्व की भूमिका को भी अहम बताया। यात्रा ट्रैक एवं पवित्र अमरनाथ गुफा के निकट पर्यावरण संरक्षण के लिए श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने की जरूरत है। महंत रामेश्वर दास ने कहा कि एक भी श्रद्धालु की मौत बीमार होने के कारण यात्रा के दौरान न हो सके। इसकी व्यवस्था भी राज्य सरकार और श्राईन बोर्ड को करनी चाहिए।

◆ 10 सितंबर को यात्री न्यास द्वारा आयोजित अमरनाथ यात्रा विषयक कार्यशाला करगिल सभागार अम्बफला में आयोजित हुई। विहिप प्रांत अध्यक्ष रमाकान्त दुबे, डॉ0 वी0के0 गुप्ता, एस0 आर0 शर्मा, नंद किशोर मिश्र, लेखन दया सागर, एम0 एम0 मुंशी सहित अन्य संगठनों के अध्यक्ष व गणमान्य महानुभाव उपस्थित रहे।

rambhasin79@gmail.com

पत्थरबाजों को आम मॉफी का विरोध

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा ईद पर कश्मीर में 1200 पत्थरबाज़ों को आम मॉफी देने का विरोध शुरु हो गया है। इस निर्णय के विरोध में न्यू प्लाट-बद्रीनाथ मंदिर में विरोध प्रदर्शन कर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नेशनल कांग्रेस की साझा सरकार का पुतला भी फूंका। प्रदर्शन का नेतृत्व महानगर के विभाग संयोजक राकेश शर्मा ने किया।

प्रस्तुति : राजेश भसीन

दिल्ली में दो दिन में तीन मन्दिर ध्वस्त

नई दिल्ली, 21 सितम्बर। दिल्ली में इस सप्ताह के मंगलवार व बुधवार के दिन मंदिरों के दुश्मन के रूप में जाने जाएंगे। मंगलवार सुबह जहां दिल्ली नगर निगम ने मस्ज़िद मोठ स्थित आर्य समाज मन्दिर को ढहाया तो वहीं नेशनल हाईवे अथोरिटी ने मथुरा रोड स्थित हनुमान मन्दिर को अपने निशाने पर लिया। दक्षिणी दिल्ली के ही न्यू फ्रेण्ड कालोनी-ईस्ट में तो हद तब हो गई जब एक प्राईवेट बिल्डर ने ही पैसों के लालच के चलते भगवान को भी नहीं छोड़ा तथा मूर्ति समेत पूरे मन्दिर को ज़मींदोज़ कर दिया।

विहिप दिल्ली के मीडिया प्रमुख विनोद बंसल ने बताया कि राजधानी के अनेक धार्मिक व सामाजिक संगठनों की बैठक हुई जिसमें इन सभी विधर्मी कृत्यों की तीव्र निन्दा करते हुए सरकार से मांग की गई कि मन्दिरों को ध्वस्त करने वाले हाथों पर अविलम्ब अंकुश लगाने के साथ ही इन ध्वस्त मन्दिरों के पुनःनिर्माण हेतु शीघ्र कदम उठाए जाएं अन्यथा राजधानी का हिन्दू समाज चुप नहीं बैठेगा।

ivhpmedia@gmail.com

पृष्ठ 4 का शेषांश

न्यूजीलैंड प्रवास के दौरान सम्मेलन के समन्वयक डॉ0 यशवन्त पाठक ने महसूस किया कि वहां का मावरी समुदाय विश्व की अत्यंत प्राचीन संस्कृतियों में एक है और वह आज भी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक रूप से सक्रिय है। विश्व स्तर पर यदि बात करें तो यह ऐसा समुदाय है जो आज भी अपनी प्राचीन संस्कृति और पहचान को बचाये रखने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा है। डॉ0 पाठक ने बताया कि सम्मेलन में करीब 50 देशों से प्रतिनिधियों के आने की संभावना है। इस प्रकार का पहला सम्मेलन वर्ष 2003 में मुम्बई में आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन में 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा सम्मेलन वर्ष 2006 में जयपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 40 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तीसरा सम्मेलन वर्ष 2009 में नागपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें 32 देशों से करीब 357 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सम्मेलन में अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ शोधपत्र प्रस्तुतिकरण, मुख्य भाषण, कार्यशाला, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित होंगे।

hindu.nz@gmail.com

रंग भरो प्रतियोगिता में पांच हजार छात्र सहभागी

कोलकाता महानगर में बस्ती निवासी विद्यालयीन छात्र–छात्राओं के लिए चित्रांकन एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं के आयोजन किए गए। इनमें कुल 93 विद्यालयों के 4777 बच्चों ने बड़े उत्साह और लगन के साथ भाग लिया। अंकन (भगवान श्रीकृष्ण के चित्र में रंग भरना) प्रतियोगिता कक्षा एक से कक्षा चार तक के बच्चों के लिए थी। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कक्षा पांच से कक्षा आठ तक के बच्चों के लिए। विद्यालय अथवा बस्ती के अनुसार प्रथम तीन स्थान पानेवाले प्रतिभागियों को विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया एवं अन्यों को भी प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए।

भारत विकास परिषद, काकुड़गाघी चैप्टर (कलकत्ता) के सहयोग से आयोजित भव्य पुरस्कार वितरण समारोह में बच्चों के अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। बच्चों में संस्कार और जागृति निर्माण का सशक्त माध्यम था यह आयोजन।

कलकत्ता के आलम बाजार अंचल में 10 सितम्बर को वहां के बच्चों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह श्री श्याम मंदिर के विशाल प्रांगण में अत्यन्त उत्साह के लिए सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इसमें कुल 18 विद्यालयों के 400 बालक/बालिकाओं तथा अभिभावकों में 300 माताओं एवं 250 बन्धुओं की उपस्थिति ने समारोह की भव्यता तथा गरिमा बढ़ाई।

प्रस्तुति : विश्व हिन्दू परिषद, द0बंग

ग्वालियर में दस हजार लोग

डबरा ग्वालियर (म0प्र0) में विहिप–स्थापना दिवस कार्यक्रम में भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयभान सिंह पवैया, अध्यक्ष कैलाश नारायण सावला तथा मंच संचालन नरेन्द्र जैन ने किया। बुन्देलखण्ड के लोकगायक देशराज पटेरिया ने भजन प्रस्तुत किये। कार्यक्रम में दस हजार लोग उपस्थित रहे।

जनता बांग्लादेशी घुसपैठियों का सामाजिक बहिष्कार करे

– मोहन जोशी

बीकानेर, 10 सितम्बर। धर्मप्रसार समिति विश्व हिन्दू परिषद द्वारा आयोजित विशिष्ट नागरिकों की एक सभा को संबोधित करते हुए विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय मंत्री मोहन जोशी ने कहा कि बीकानेर जिला पाकिस्तान का सीमावर्ती जिला है। यहां पर बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ चिन्ताजनक है। देश के अनेक भागों में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा चोरी, हत्या तथा अनेक प्रकार के अपराधों के समाचार प्रकाशित होते रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों के भी वे हस्तक बन सकते हैं।

उन्होंने सरकार से मांग की कि इन घुसपैठियों को शीघ्र भारत से निष्कासित किया जाए। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि उन्हें किसी प्रकार का रोजगार, अपने मोहल्ले में बसने की इजाजत न दें। उन्होंने सुझाव दिया कि चूंकि पाक सरकार/प्रशासन अस्थिर है, वहां अनेक दशकों से सेना का दबदबा रहा है। इसलिए सीमा सुरक्षा बलों की चौकियाँ कम से कम एक–एक किलोमीटर के अन्तराल पर निगरानी के लिए स्थापित की जायें।

रामस्नेही सम्प्रदाय के आचार्य ने कहा कि हिन्दू धर्म पर आघात करनेवाले कानून और योजनाओं को सहन नहीं किया जायेगा। संत–महात्मा देश और धर्म को हानि पहुंचाने वाली हरेक विचार और कार्य के विरुद्ध समाज को जाग्रत करेंगे।

सूरतगढ़ (राज0) में संगोष्ठी

सूरतगढ़ (राज0), 12 सितम्बर। अग्रसेन भवन में प्रस्तावित साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा अधिनियम विषयक–2011 संगोष्ठी का आयोजन सत्यनारायण सोमानी (पूर्व अध्यक्ष व्यापार मण्डल) सूरतगढ़ की अध्यक्षता, मोहन जोशी (केन्द्रीय मंत्री–विहिप), गुलाब सिंह (राजस्थान क्षेत्र धर्मप्रसार मंत्री), सुभाष जोशी (विहिप धर्मप्रसार प्रांत अध्यक्ष), तथा सत्यनारायण (कार्यक्रम अध्यक्ष) के सान्निध्य में किया गया। स्थानीय नागरिकों में रमेश आसवानी, चन्द्र प्रकाश जनवेजा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

मुख्य वक्ता मोहन जोशी ने बताया कि यह साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा अधिनियम 2011 ऐसा अभूतपूर्व प्रारूप है जैसा मध्यकालीन बर्बर एवं धर्मान्ध शासकों ने भी नहीं लागू किया। यह कानून देश के लोकतांत्रिक ढांचे को तहस–नहस करने वाला तथा सम्प्रदाय के आधार पर विभेदकारी है।

प्रस्तुति : गणपतराय अग्रवाल
विभाग मंत्री–श्रीगंगानगर

भगवान् गणेश का मेलबर्न में अपमान

मेलबर्न (एजेन्सी), 19 सितम्बर। हिन्दुओं ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले नाटक गणेश वर्सेज द थर्ड राइक पर नाराजगी जताई है। नाटक में हिटलर को भगवान् गणेश पर अत्याचार करते हुए दर्शाया गया है। नाटक का वर्ल्ड प्रीमियर 29 सितम्बर को मेलबर्न फेस्टिवल के दौरान होने वाला है। पहले भी ऑस्ट्रेलिया में एक फैशन शो के दौरान देवी–देवताओं का अपमान किया जा चुका है।

यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ हिन्दुइज्म के अध्यक्ष राजन जेड ने कहा कि यह हरकत सीधे तौर पर हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। फेस्टिवल में गणेशजी का अप्रासंगिक और गलत चित्रण किया जा रहा है। वहीं, थिएटर समूह के कार्यकारी निर्माता एलिस नैश ने कहा कि यह हिन्दुओं के खिलाफ नहीं है। इस पर बहुत सावधानी से सोचा गया है कि श्रीगणेश को मंच पर कैसे दर्शाया जाए और मंच पर क्या कहा जाए ?

ऑस्ट्रेलिया में ऐसा पहला मामला नहीं : ऑस्ट्रेलिया में फैशन वीक के दौरान देवी लक्ष्मी की तस्वीर वाली बिकनी पहन कर मॉडल्स रैंप पर चली थीं। इस पर इलाहाबाद कोर्ट ने विदेश मंत्रालय और ऑस्ट्रेलियाई दूतावास को नोटिस जारी किया था।

प्रस्तावित बिल के विरोध में विहिप का प्रदर्शन

सहारनपुर (उ0प्र0)। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा प्रस्तावित साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा अधिनियम के विरोध में विश्व हिन्दू परिषद ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन में विश्व हिन्दू परिषद ने कहा कि यह बिल संविधान की संघीय विशेषताओं को कमजोर कर देश के साम्प्रदायिक सद्भाव को नष्ट–भ्रष्ट कर सकता है।

गोभक्तों पर हमला

सहारनपुर। लखनौती में दो शिवसैनिकों को हमला कर घायल करने के आरोपी गोहत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शिवसैनिकों ने गांधी पार्क में प्रदर्शन कर धरना दिया।

धरने को संबोधित करते हुए नगर प्रमुख संजय वर्मा ने कहा कि शिव सेना ने गोहत्यारों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। इसी से क्षुब्ध होकर 20 दिन पूर्व लखनौती में गोहत्यारों ने शिवसेना ब्लाक प्रमुख नीरज रोहिला तथा शिवसैनिक राजबीर पर जानलेवा हमला किया। दोनों अभी भी गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने अभी तक केवल चार हमलावरों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी खुले घूम रहे हैं और गोरक्षा करने वालों को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं।

प्रस्तुति : वीरसेन मानव

आस्ट्रेलियाई सरकार का पुतला फूंका

बुलंदशहर (उ0प्र0), 23 सितम्बर। आस्ट्रेलिया के थियेटर में विगत दिनों मंचन किये जा रहे एक नाटक के दौरान करोड़ों हिन्दुओं के आराध्य भगवान गणेश को अपमानजनक रूप में प्रस्तुत करने और उनका मजाक उड़ाने से आक्रोशित बजरंग दल–बुलंदशहर–कार्यकर्ताओं ने आस्ट्रेलियाई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूंका और उक्त नाटक को तुरंत बंद किये जाने की मांग की।

hemantabvp@gmail.com

विभूति संगम

मेरठ (उ0प्र0), 11 सितम्बर। शास्त्रीनगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में वैदिक विश्व दर्शन केन्द्र की ओर से विभूति संगम का आयोजन हुआ। इस मौके पर विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय सह मंत्री आचार्य राधाकृष्ण मनोड़ी ने वैदिक धर्म का मर्म विस्तार से बताया। कवियों ने भी वेदों पर आधारित कविता पाठ कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

६७०९ अस्थि कलश गंगाजी में विसर्जित

नई दिल्ली, 18 सितम्बर। श्रीदेवोत्थान सेवा समिति के तत्वावधान में निकाली जानेवाली दो दिवसीय अस्थि कलश विसर्जन यात्रा 6709 अस्थि कलशों को हरिद्वार में विसर्जित करने के साथ ही सम्पन्न हो गई। समिति के अध्यक्ष अनिल नरेन्द्र ने बताया कि समिति ने गंगा तट पर संकल्प लिया है कि इस वर्ष पाकिस्तान में लाहौर स्थित कोट लखपत जेल में रखी उन सभी अस्थियों को लाए जाने का प्रयास किया जाएगा, जिन जवानों को भारत–पाक युद्ध के दौरान पकड़ा गया था और उनकी मृत्यु वहीं हुई, दाह–संस्कार भी हुआ लेकिन उन जवानों की अस्थियां अभी भी वहां रखी हैं और श्रीगंगाजी में प्रवाहित होने के लिए इंतजार कर रही हैं। इस दिशा में भारत व पाक सरकार से बात करके इनको लाने का प्रयास किया जायेगा। समिति के महामंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस वर्ष 6709 हुतात्माओं के अस्थि कलशों को शहीद भगत सिंह पार्क, आईटीओ से भव्य शोभायात्रा के साथ लाकर कनखल के सतीघाट पर 100 ली. दूध की धारा व वैदिक रीति से विसर्जित किया गया।

३० सितम्बर को अयोध्या में जय हनुमान ज्ञान गुन सागर....की गूंज

अयोध्या 30 सितम्बर। 'श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हनुमान जी की कृपा से अवश्य होगा। 30 सितम्बर को उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा श्रीराम जन्मभूमि को स्वीकार करने के बाद अब किसी प्रकार का संशय राजनीतिज्ञों को नहीं होना चाहिए हनुमान जी जहाँ न्यायिक बाधाओं को दूर करेंगे वहीं संसद में जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सोमनाथ की तर्ज पर कानून बनाकर मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त कराने में राजनीतिक दलों की मानसिकता को भी बदलेंगे।'

उक्त विचार श्रीराम जन्मभूमि की बाधाओं को दूर करने को लेकर देख भर में आयोजित हुए हनुमान चालीसा के क्रम मे मणिराम छावनी मंदिर में श्रीराम जन्मभूमि न्यास–कार्याध्यक्ष महन्त नृत्यगोपाल दास महाराज ने पत्रकारों के बीच व्यक्त करते हुए कहा न्यायिक प्रक्रिया लम्बी खिच सकती है इसलिए लोक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए कानून बनना चाहिए। हनुमान जी रूद्रावतार हैं उनकी कृपा भक्तों की भावनाओं पर अवश्य होगी।

आज अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए हनुमान चालीसा पाठ मणिराम दास छावनी में महन्त नृत्यगोपाल दास, उत्तराधिकारी महन्त कमल नयन दास, पुनीत राम दास, कृपालु राम दास (पंजाबी बाबा), हनुमान बाग में महन्त जगदीश दास, कारसेवकपुरम् में विहिप के संयुक्त महामंत्री चम्पत राय व केन्द्रीय मंत्री पी. एन.सिंह, वसिष्ठ भवन में डा.राघवेश दास वेदान्ती, सनकादिक आश्रम में महन्त कन्हैया दास, दिगम्बर अखाड़ा में महन्त सुरेश दास, सियाराम किला में स्वामी प्रभंजनानन्द, बडा भक्तमाल में महन्त कौशल किशोर दास, सदगुरू सदन गोला में सियाकिशोरी शरण, सुग्रीव किला में ज0गु0 पुरुषोत्तमाचार्य, राम धाम में म0म0 प्रेमशंकर दास, त्यागी आश्रम में म0म0 सीताराम त्यागी, राम सुन्दर धाम में महन्त राम मिलन दास, दिव्यशीश महल में रामकुमार दास, जायसवाल मंदिर में महन्त जगन्नाथ दास, चौबुर्जी मंदिर में महन्त बृजमोहन दास, बड़ा फाटक में महन्त गोविन्द दास, अगस्त आश्रम में महन्त राम अवतार दास आदि के नेतृत्व में लगभग **500 स्थानों पर हनुमान चालीसा का बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ 11 एवं 21 बार सस्वर पाठ हुआ।**

vhp.ayodhya@gmail.com

अयोध्या-कार्यशाला में पत्थर तराशी का पुनराम्भ

अयोध्या, 1 अक्टूबर। विहिप के संयुक्त महामंत्री व कार्यशाला के मार्गदर्शक चम्पत राय ने बताया कि राम घाट स्थित राम मंदिर–निर्माण कार्यशाला में प्रातः विधिवत हवन–पूजन के साथ पत्थर तराशी का कार्य प्रारम्भ हो गया। अनेक पूज्य संत उपस्थित रहे।

आन्ध्र में विहिप का अर्चक पुरोहित सम्मेलन

विश्व हिन्दू परिषद की पश्चिमी आन्ध्र इकाई ने 21 सितम्बर को कुर्नूल जिले के श्रीसेलम में अर्चक पुरोहित सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में 350 गांवों से 360 अर्चकों ने भाग लिया। अर्चक मुख्य रूप से कुर्नूल, कडप्पा, अनन्तपुर और चित्तूर जिलों से आये थे। सम्मेलन में प्रदेश के मंदिर प्रशासन के सम्बंध में कईं प्रस्ताव भी पास किये गये। इन प्रस्तावों में शामिल हैं–मंदिर प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना, भगवान के आभूषणों की सार्वजनिक प्रदर्शनी, प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार, मंदिर ढांचों की मजबूती का अध्ययन करने के लिए समिति का गठन, अत्यादि।

विश्व हिन्दू परिषद के अ0भा0 अर्चक पुरोहित प्रमुख उमाशंकर शर्मा, राज्य अर्चक नेता नन्दीश्वर, हिन्दू मंदिर संरक्षण समिति के नेता कमलकुमार स्वामीजी, विहिप के राज्य स्तर के नेता व्यासराज, बालसुब्रहमण्यम, जिला स्तर के नेता मल्लिकार्जुन रेड्डी, रामकृष्ण, प्रणेश, श्रीसेलम न्यास बोर्ड के अध्यक्ष कोटेश्वर राव सहित अनेक प्रमुख नेताओं ने सम्मेलन में भाग लेकर अर्चकों को सम्बोधित किया। आन्ध्र प्रदेश होटल एसोसिएशन के नेता चन्द्रशेखर कलकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

<maligivyasaraj@gmail.com>

गोरक्ष प्रान्त कार्यकर्ता–अभ्यास वर्ग

बलिया (उ0प्र0), 21 सितम्बर। विश्व हिन्दू परिषद के तत्वावधान में नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलिया में तीन दिवसीय प्रांतीय कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग 16 सितम्बर दोपहर से प्रारम्भ होकर 18 सितम्बर सायं तक चला जिसमें जिला एवं इससे ऊपर के 60 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 15 स्थानीय कार्यकर्ता व्यवस्था में लगे।

प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री द्वारा ६६६ परिवारों की अनदेखी

प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह की ताजा बांग्लादेश यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी विवाद को हमेशा के लिए समाप्त करने को लेकर एक संधि पर हस्ताक्षर किये गये। किन्तु इस संधि पर हस्ताक्षर करते समय भारत सरकार ने कम से कम 666 उन भारतीय परिवारों की पीड़ा का अंदाजा नहीं लगाया, जो असम सेक्टर में बांग्लादेश सीमा के निकट बहुत वर्षों से रह रहे हैं।

उस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रधानमंत्री और असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भारत आने के बाद भी एक शब्द इन भारतीय परिवारों के हितों की रक्षा को लेकर नहीं बोला है। इस संधि के बाद इन परिवारों को यह तक नहीं पता है कि अब वे आखिर जिएंगे कैसे !

सरकारी रिकार्ड के अनुसार असम सेक्टर में तारबंदी करते समय करीब 666 परिवार–कछार जिले के 170, धुबरी जिले के 125 और करीमगंज जिले के 362 परिवार, तारबंदी के उस पार बांग्लादेश में आ गये। इसलिए उन्हें जीरो लाइन से करीब 150 गज दूर हटाना जरूरी था। जिन इलाकों में ये परिवार रहते हैं वे हैं धुबरी जिले का भोगदंगा गांव, करीमगंज जिले के जारपाटा, कुरिखोला, लाटू, लापासेल पार्ट–3, बालिदारा, कुरूतुबदेवतली आदि।

इस संधि के बाद बांग्लादेश तथा भारत के बीच जीरो लाइन पर दोबारा तारबंदी होनी है। इसलिए अब देखना यह होगा कि भारत सरकार इन 666 परिवारों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाती है ? वैसे अभी तक भारत सरकार की ओर से इन परिवारों को तारबंदी के इस पार लाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ है।

सूत्रों के अनुसार ये सभी परिवार तुरन्त तारबंदी के इस पार आने के लिए बेताब हैं ताकि उन्हें अन्य भारतीय नागरिकों की भांति अधिकार तथा सुरक्षा मिल सके। ये सभी परिवार तारबंदी से असम की तरफ प्रातःकाल उसी समय आ पाते हैं जब बीएसएफ के जवान दरवाजा खोलते हैं और शाम को उन्हें दिन छिपने से पहले वापस जाना होता है।

यदि इन परिवारों को रात में किसी स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में भी तारबंदी के इस पार आना पड़े तो वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बीएसफ को रात के समय दरवाजा खोलने की अनुमति नहीं है। ऐसी स्थिति में वे मदद के लिए बांग्लादेश की तरफ भी नहीं जा सकते, क्योंकि बांग्लादेश रायफल्स के जवान वहां पूरी मुस्तैदी से पहरा देते रहते हैं।

<basudebp421@gmail.com>

साम्प्रदायिक....... हिंसा अधिनियम (?) से धर्मान्तरण करनेवाली शक्तियों को मिलेगा लाभ !

– श्री भागवत

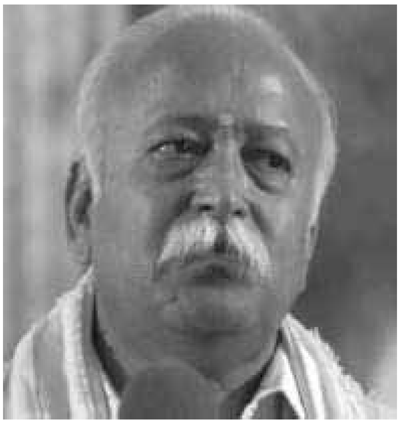

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पू0सरसंघचालक श्री मोहन भागवत ने 25 सितम्बर को जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रस्तावित साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा अधिनियम – 2011 भारतीय नागरिकों में विभेद पैदा करेगा तथा देश को जाति, वर्ग तथा पूजा पद्धति के आधार पर विभाजित करेगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक संवैधनिक सिद्धांतों तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है।

श्री भागवत ने कहा कि इस विधेयक में जिस तरह के प्रावधान शामिल किये गये हैं, वे बिल्कुल भी सही नहीं हैं। देश में झगड़ा चलता रहे, इसी उद्देश्य से इस विधेयक को तैयार किया गया है। एक ही देश के नागरिकों में यह भेदभाव करता है। जिस दिमाग की यह उपज है, वह दिमाग राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। कुछ समय पूर्व इस विधेयक की चर्चा राष्ट्रीय एकता परिषद में हुई और भारी विरोध के कारण प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह को कहना पड़ा कि इसे बदलकर लाएंगे।

सरसंघचालक श्री भागवत ने कहा कि ऐसे विघटनकारी विधेयक को बदले हुए स्वरूप में भी लाने की आखिर इसलिए आवश्यकता है, क्योंकि इसके पीछे इरादा देश को तोड़ने और अपने स्वार्थ की रोटी सेंकने का है। इससे समाज में जो दूरियां पैदा होंगी, उससे लाभ केवल धर्मान्तरण करने वाली शक्तियों को मिलेगा।

vskap1@gmail.com

उद्घाटन सत्र में विहिप प्रांत मंत्री प्रदीप पाण्डेय ने विश्व हिन्दू परिषद स्थापना विषयक, क्षेत्रीय संगठन मंत्री महावीरजी ने हमारा गौरवशाली अतीत और हमारे पतन के कारण क्या रहे, देश की वर्तमान परिस्थितियां, मुस्लिम/ईसाई/आतंकवाद एवं माओवाद तथा संस्कारों का पतन, कार्यकर्ताओं के गुण, नेतृत्व क्षमता का विकास पर तीन सत्रों में विस्तार से प्रकाश डाला।

प्रस्तुति : प्रदीप पाण्डेय प्रांत मंत्री–गोरक्ष प्रान्त

oceancafe2010@gmail.com

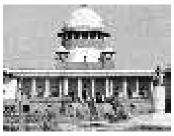

दिल्ली उच्च न्यायालय की हरी झण्डी

राजनीतिक रूप से सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों को अब नहीं मिलेगी विदेशी आर्थिक सहायता

जनहित के नाम पर प्रायः बंद, हड़ताल, रास्ता रोको, रेल रोको और जेल भरो आन्दोलन जैसी गतिविधियों में संलिप्त गैर सरकारी संगठनों तथा स्वैच्छिक समूहों के लिए अब ऐसी गतिविधियां महंगी पड़ सकती हैं। अपने एक फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार यदि चाहे तो ऐसे संगठनों को विदेशी आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु अयोग्य करार दे सकती है। न्यायालय के इस निर्णय के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

न्यायालय ने यह सुझाव उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया जो विदेशी सहायता (नियामक) अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने के लिए दायर की गयी थी। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि सरकार यदि चाहे तो गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों के विदेशी आर्थिक स्रोत पर प्रतिबंध लगा सकती है। हालांकि याचिकाकर्ता 'इंडियन सोशल एक्शन फोरम' ने कहा कि इस प्रकार का प्रतिबंध अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन होगा। किन्तु उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह सुझाव कानून बनाने वाली संस्था यानि केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और इससे संविधान में प्रदत्त किसी के मूलाधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा तथा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने यह भी कहा कि इस प्रकार के प्रतिबंध का सरकार द्वारा दुरुपयोग नहीं होगा और यदि इस प्रकार का कोई मामला संज्ञान में आएगा तो न्यायालय उस पर जरूर विचार करेगा। न्यायालय के इस निर्णय को पिछले दिनों अण्णा हजारे, बाबा रामदेव, मेधा पाटकर तथा अन्य गैर सरकारी संगठनों द्वारा किये गये आन्दोलनों के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विधि विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायालय के इस निर्णय का गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों पर गहरा असर पड़ सकता है। अण्णा आन्दोलन के दौरान मुख्य भूमिका निभाने वाले उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व केन्द्रीय कानून मंत्री शान्ति भूषण का कहना है कि, "जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ने वाले संगठनों को विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त है। यदि उन्हें मिलने वाली किसी भी मदद पर इस प्रकार का प्रतिबंध लगता है तो उसका उनकी गतिविधियों पर विपरीत असर पड़ेगा। यदि सरकार ऐसा प्रतिबंध लगाना ही चाहती है तो फिर राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न किसी भी सामाजिक संगठन को विदेशी सहायता नहीं मिलनी चाहिए।"

याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष कहा था कि 'एक्टीविटी' (गतिविधि), आइडोलॉजी (विचारधारा) तथा प्रोग्राम (कार्यक्रम) जैसे शब्दों की इस संदर्भ में परिभाषा स्पष्ट नहीं है। याचिका में कहा गया कि, "इस प्रकार के शब्दों की अस्पष्ट व्याख्या के कारण ही सरकार गैर सरकारी संगठनों के आर्थिक स्रोतों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है। इसलिए यह प्रावधान सीधे तौर पर संविधान की धारा 14 के तहत प्रदत्त विधि के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इस अधिनियम में जो प्रावधान दिये गये हैं उनका निश्चित रूप से दुरुपयोग हो सकता है तथा सरकार की बदनीयती पर निगरानी रखने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। **इसमें जनहित तथा राजनीतिक गतिविधियों के बीच कोई स्पष्ट भेद नहीं किया गया है।**

हालांकि याचिकाकर्ता न्यायालय को इस संदर्भ में सहमत करने में असफल रहा और न्यायालय ने कहा कि संविधान ने सरकार को देशहित में कुछ प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की है। न्यायालय ने कहा, "विदेशी सहायता अधिनियम संसद द्वारा पारित ही इसलिए किया गया है ताकि संसदीय निकाय, राजनीतिक संगठन, अन्य स्वैच्छिक संगठन तथा व्यक्ति लोकतांत्रिक नियमों के तहत अपनी गतिविधियां संचालित करें। **जो संविधान अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है वही संविधान सरकार को यह शक्ति भी प्रदान करता है कि वह देशहित, सम्प्रभुता, अखंडता तथा देश की सुरक्षा के मद्देनजर कुछ वाजिब प्रतिबंध लगा सके।** खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि संशोधन में सिर्फ विदेशी आर्थिक सहायता प्राप्त करने पर रोक की बात कही गयी है। न्यायाधीशों ने कहा कि, "यह समझना बहुत कठिन है कि इस प्रतिबंध से अभिव्यक्ति की आजादी किस प्रकार प्रभावित होगी। इस प्रावधान में सिर्फ विदेशी आर्थिक सहायता प्राप्त करने पर ही प्रतिबंध की बात कही गयी है न कि दलितों, पिछड़ों के अधिकारों हेतु लड़ने पर किसी प्रकार की रोक का प्रावधान है।

याचिकाकर्ता के निवेदन पर इस संशोधन प्रक्रिया पर किसी प्रकार की रोक लगाने से इनकार करते हुए न्यायालय ने कहा कि संशोधित नियमों को असंवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनमें संविधान के प्रावधानों का पालन किया गया है। न्यायाधीशों ने कहा कि यदि सरकार द्वारा संशोधन के लिए सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। किन्तु इस संशोधन में याचिकाकर्ता की यह दलील कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, उचित नहीं है। यदि जरूरत पड़ी तो बाद में इस पर न्यायालय में विचार हो सकता है। न्यायालय को इस तर्क में भी कोई दम नजर नहीं आता कि इस प्रावधान में कुछ शब्दों की परिभाषा स्पष्ट नहीं है।" (22 सितम्बर, 2011)

– राकेश रंजन,
नई दिल्ली

विहिप स्थापना दिवस पर कोलकाता में आयोजित रंग भरो प्रतियोगिता में प्रतिभागी छात्र-छात्रायें व उपस्थित मातृशक्ति

सूरतगढ़ (राज.) में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते विहिप-केन्द्रीय मंत्री मोहन जोशी

दिल्ली में श्रीराम कथा के पूर्व आयोजित कलश यात्रा

संकट मोचन आश्रम (दिल्ली) में श्रोताओं को श्री हनुमत् चरित के गूढ़ रहस्यों में अवगाहन कराते पू. डॉ. रामविलास दासवेदान्ती जी

email:hinduvishwa@gmail.com
website: www.vhp.org

DL-SW-15/4031/2009-11
समाचार पत्र पंजी. सं. 68516/98
मुद्रण- तिथिः 13.10.11
प्रेषण तिथि : 14-15 (अग्रिम-पाक्षिक)

मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी कानून

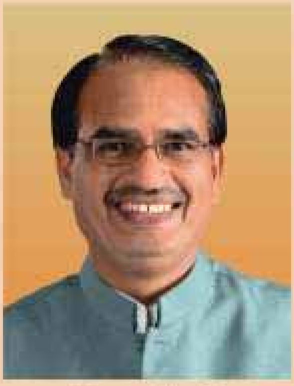

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

जानें अपने हक़,
मांगें अपने हक़

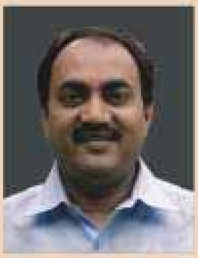

बृजेन्द्र प्रताप सिंह
राज्यमंत्री,
लोक सेवा प्रबंधन विभाग

नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध मध्यप्रदेश सरकार

5 दिन में
खसरे की नकल मिलना।

7 दिन में
स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र मिलना।

7 दिन में
हैंडपंप का सुधार होना।

11 दिन में
नया बिजली कनेक्शन प्राप्त करना।

15 दिन में
भू-अधिकार पुस्तिका मिलना।

30 दिन में
प्रसूति योजना का लाभ प्राप्त करना।

30 दिन में
नल का कनेक्शन मिलना।

30 दिन में
नया राशन कार्ड बनना।

60 दिन में
सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलना।

जनसंपर्क मध्यप्रदेश द्वारा जारी

प्रकाशक व मुद्रक परमानन्द मनोहर द्वारा सचिव, साहित्य एवं दृक्श्राव्य सेवा न्यास की ओर से 'साइबर क्रिएशन्स' जे.ई.-9, खिड़की एक्सटेंशन, मालवीय नगर, नई दिल्ली-17 से छपवाकर संकटमोचन आश्रम, सेक्टर-6, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-22 से प्रकाशित। सम्पादक : मानवेन्द्र नाथ पंकज